



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थं सत्यमिच्छा

Dedicated to Truth in Public Interest

तरंग

संयुक्तांक
145-146

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम)
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थं सन्निविष्टा
Dedicated to Truth in Public Interest

अर्द्धवार्षिक हिन्दी पत्रिका

बसंवा

(संयुक्तांक : 145-146)

(सितम्बर, 2023-अगस्त, 2024)

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थं सन्निविष्टा
Dedicated to Truth in Public Interest

कार्यालय प्रधान महालेखाकार
(लेखापरीक्षा-प्रथम)
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

- टिप्पणियाँ हिंदी में लिखिए।
- मसौदे हिंदी में तैयार कीजिए।
- शब्दों के लिए अटकिए नहीं।
- अशुद्धियों से घबराइए नहीं।
- अभ्यास अविलम्ब आरम्भ कीजिए।

सम्पादक मण्डल का रचनाकारों के विचारों से सहमत होना आवश्यक नहीं है।

रचनाकारों के विचार उनके व्यक्तिगत विचार हैं।

सौजन्यपूर्ण सम्बन्ध

मूल्य: “राजभाषा के प्रति निष्ठा”

आवरण पृष्ठ : त्रिवेणी संगम का विहंगम चित्रण

अंतिम आवरण पृष्ठ : प्रकाशमान कार्यालय का मनोरम दृश्य

तरंग परिवार

मुख्य संरक्षक
श्री राम हित
प्रधान महालेखाकार
(लेखापरीक्षा-प्रथम)
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

प्रधान एवं कार्यकारी सम्पादक
सुश्री धनलक्ष्मी चौरसिया
वरिष्ठ उप महालेखाकार/प्रशासन एवं ए.एम.जी-I
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम)
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

श्री श्रेयांश सिंह	सुश्री पूजा कुमारी
उप महालेखाकार/ए.एम.जी III एवं IV	उप महालेखाकार/ए.एम.जी-II एवं V
कार्यालय प्रधान महालेखाकार	कार्यालय प्रधान महालेखाकार
(लेखापरीक्षा-प्रथम)	(लेखापरीक्षा-प्रथम)
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज	उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

सम्पादक
श्री समीर शुक्ला

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (हिंदी)

सह सम्पादक मंडल

सुश्री किरण लता
हिंदी अधिकारी

सुश्री पुष्पा मिश्रा
सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी

सुश्री रीनू गुप्ता
कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक



ॐ संदेश ॐ

कार्यालय की हिन्दी पत्रिका 'तरंग' का 145-146 वाँ संयुक्तांक प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है। कार्यालय की यह पत्रिका न केवल राजभाषा के प्रसार, उन्नयन एवं प्रचलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है वरन् कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी भाषा में सोचने एवं लिखने के लिए प्रेरित करती है जो अग्रेतर हमारे कार्यालय के दायित्वों के निर्वहन में हमें प्रगति के पथ पर अग्रसर करती है।

पत्रिका के सभी लेखकों-रचनाकारों का आभार और अपेक्षा भी है कि वे अपनी रचनाधर्मिता को नए आयाम देते रहेंगे और जिन्होंने सोचा और अपनी रचनाएँ नहीं दे सके, वे अगले अंकों में अपना साहित्यिक योगदान देंगे।

सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी पखवाड़े की अशेष बधाइयाँ एवं पत्रिका का सतत परिष्कार होता रहे, ऐसी कामना है।

सुकिंदर सिंह, सचिव/सचय

Dedicated to Truth in Public Interest

(राम हित)

प्रधान महालेखाकार
(लेखापरीक्षा-प्रथम)
उत्तरप्रदेश, प्रयागराज



ॐ संदेश ॐ

मुझे यह जानकर अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है कि कार्यालय की विभागीय राजभाषा पत्रिका तरंग का 145-146 वां संयुक्तांक प्रकाशित होने जा रहा है, जिसके माध्यम से राजभाषा हिंदी के प्रति कर्तव्य, गौरव और समर्पण की भावना प्रतिबिम्बित होती है।

पत्रिकायें राजभाषा हिंदी के प्रयोग हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य को बहुत ही रुचिकर ढंग से पूर्ण करती हैं। राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने का सबसे सशक्त माध्यम भाषा एवं संस्कृति है। किसी भी राष्ट्र की भाषा विचारों एवं भावों की वाहिका होने के साथ-साथ उसके सामाजिक व सांस्कृतिक सौहार्द एवं भाषाई एकता की परिचायक होती है।

राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार तथा इसे व्यावहारिक रूप देने के लिए हम सभी दृढ़ संकल्पित हैं। हमारा समेकित प्रयास राजभाषा के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हम सभी का यह दायित्व है कि कार्यालयीन स्तर पर राजभाषा के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु हमेशा तत्पर रहें और राजभाषा के मानकों पर खरा उतरें।

मैं तरंग पत्रिका के प्रकाशन हेतु सम्पादन मण्डल व सभी रचनाकारों को बधाई देता हूँ जिनके प्रयास से इस पत्रिका को मूर्त रूप प्रदान किया जा सका है साथ ही पत्रिका के स्वर्णिम भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।

(संजय कुमार)

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय)

लखनऊ



॥ संदेश ॥

यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि हमारी कार्यालयीन गृह पत्रिका 'तरंग' के 145-146वें संयुक्तांक का प्रकाशन किया जा रहा है। हिंदी भाषा हमारे देश की समृद्ध संस्कृति एवं संस्कारों का प्रतिबिम्ब है और साथ ही राजभाषा के रूप में भी हिंदी राष्ट्रीय स्वाभिमान और सांस्कृतिक गौरव का प्रतिनिधित्व करती है। अतः हिंदी के प्रति प्रेम एवं सम्मान व्यक्त करना हम सभी का राष्ट्रीय कर्तव्य है। हिंदी पत्रिकाओं के माध्यम से कार्यालय स्तर पर हिंदी में विचारों की अभिव्यक्ति का उचित अवसर प्रदान करना है, ताकि व्यापक पैमाने पर हिंदी भाषा का विकास एवं प्रचार-प्रसार किया जा सके। 'तरंग' पत्रिका के सफल प्रकाशन के लिए कार्यालय के अधिकारीगण और कर्मचारीगण ने प्रेरणा एवं लगन से साहित्यिक प्रतिभा को नवीनतम रूप में अभिव्यक्त किया है। मैं 'तरंग' के अविश्राम प्रकाशन से जुड़े हुए सभी रचनाकारों एवं संपादक मंडल को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और साथ ही साथ आशा करता हूँ कि भविष्य में भी हिंदी पत्रिका 'तरंग' का सफल प्रकाशन होता रहेगा।

Dedicated to Truth in Public Interest

डा. सुरेन्द्र कुमार

महालेखाकार

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी-II)
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज



॥ संदेश ॥

अत्यंत हर्षित हूँ कि राजभाषा हिन्दी पत्रिका 'तरंग' अपने 145-146वें संयुक्तांक के प्रकाशन की तरफ बढ़ चली है। कार्यालय के सभी कर्मिकों को हार्दिक बधाई देता हूँ।

विभागीय राजभाषा हिन्दी पत्रिकाएँ न केवल रचनाकारों के रचनात्मक कौशल को दर्शाती हैं बल्कि विभिन्न कार्यालयों तक पहुँचकर अपने क्षेत्र विशेष की संस्कृति, कार्य पद्धति आदि बातों से भी परिचित करवाती हैं। यूँ भी कह सकते हैं कि राजभाषा हिन्दी पत्रिकाएँ, हम सब को, मानसिक स्तर पर एक दूसरे के साथ जोड़ती हैं एवं इस दिशा में तरंग का योगदान महत्वपूर्ण है।

पत्रिका के सफल सम्पादन हेतु संपादक मण्डल एवं रचनाकारों को विशेष बधाई के साथ पत्रिका के उज्ज्वल भविष्य की मंगल कामना करता हूँ।

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

सर्वोच्च निरीक्षण संस्थान

Dedicated to Truth in Public Interest

Ambedkar

अभिषेक सिंह

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज



ॐ संदेश ॐ

मुझे यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि आपके कार्यालय की विभागीय राजभाषा पत्रिका 'तरंग' के नवीनतम अंक (145-146वें संयुक्तांक) का प्रकाशन होने जा रहा है। इस संबंध में मेरी ओर से ढेरों शुभकामनायें। कार्यालय की पत्रिका न केवल अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपनी रचना प्रदर्शित करने हेतु एक सफल मंच प्रदान करती है अपितु, इसके साथ ही हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। पत्रिका का यह अंक राजभाषा के संचार में एक सराहनीय कार्य है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि पत्रिका का यह नवीनतम अंक, सभी को सृजनात्मक अभिव्यक्ति विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करेगा।

पत्रिका के उत्तरोत्तर प्रगति के लिए शुभकामनायें एवं इसके संपादक मंडल तथा रचनाकारों को बधाई।

लोकजीतनाथ राजवर्मा
Dedicated to Truth in Public Interest

तान्या सिंह
तान्या सिंह

महालेखाकार (लेखापरीक्षा-द्वितीय)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ



ॐ संदेश ॐ

अत्यंत हर्ष का विषय है कि कार्यालय की राजभाषा पत्रिका तरंग अपने 145-146वें अंक में प्रवेश कर चुकी है। पत्रिका के सफल प्रकाशन हेतु संपादक मंडल एवं राजभाषा कार्य से जुड़े सभी अधिकारी एवं कर्मचारीगण तथा संबंधित रचनाकार बधाई के पात्र हैं। राजभाषा हिंदी की प्रगति एवं दिशा तय करने में विभागीय पत्रिकाओं का योगदान हमेशा से सराहनीय रहा है। राजभाषा पत्रिका ने कार्मिकों को अपने दैनिक कार्यों में हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग को प्रेरित किया है। हिंदी भाषा को कार्यालय में पत्राचार तथा टिप्पण को अधिकाधिक हिंदी में प्रस्तुत कर हम इसके व्यापक स्वरूप को मूर्त रूप देते हैं। पत्रिका के इस अंक में विविध विषयक आलेख, कवितायें, कहानियां एवं कार्यालय की गतिविधियों का सचित्र विवरण अत्यंत प्रशंसनीय है। आशा करती हूँ कि राजभाषा पत्रिका निरंतर गतिमान रहेगी। पत्रिका को अपने प्रगति पथ पर उज्ज्वल भविष्य हेतु मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

सर्वोच्च निरीक्षण संस्थान

Dedicated to Truth in Public Interest

धनलक्ष्मी

धनलक्ष्मी चौरसिया

वरिष्ठ उपमहालेखाकार/प्रशासन, ए.एम.जी.-I
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम)
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज



॥ संदेश ॥

अत्यंत हर्ष का विषय है कि कार्यालय की राजभाषा पत्रिका तरंग का 145-146वां संयुक्तांक प्रकाशित होने जा रहा है। कार्यालय की यह पत्रिका कार्मिकों के मनोभाव को व्यक्त करने के साथ ही साथ सकारात्मक उर्जा का पुंज भी है।

विभिन्न भाषाएं और संस्कृतियां भारत की पहचान हैं सभी भाषाओं का समृद्ध इतिहास है और बड़ी संख्या में बोलने वाले भी मौजूद हैं किंतु पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने का काम हिन्दी ने बखूबी किया है। देश की आजादी की लड़ाई में पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक स्वतंत्रता सेनानियों को एक करने का काम उस दौर में हिन्दी भाषा ने किया था। इस कार्य में राष्ट्रपिता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। उन्होंने कहा था, 'जो भाषा भारत के दिलों पर राज करती है, वह भाषा हिन्दी है।'

मातृ भाषा की उन्नति के बिना किसी भी समाज की तरक्की संभव नहीं है तथा अपनी भाषा के ज्ञान के बिना मन की पीड़ा को दूर करना असंभव है।

राजभाषा पत्रिका 'तरंग' के इस अंक के प्रकाशन में अपना योगदान देने वाले सभी रचनाकारों एवं संपादक मंडल को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और आशा करता हूँ कि कार्यालय की यह पत्रिका उन्तुंगता के शिखर पर होगी तथा राजभाषा के विकास में अपना अमूल्य योगदान देती रहेगी।

हिन्दी पत्रिका 'तरंग' के सफल प्रकाशन एवं उद्देश्यपूर्ण प्रगति के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।

श्रेयांश

श्रेयांश सिंह

उप महालेखाकार-ए.एम. जी.-III एवं IV
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम)
उत्तरप्रदेश, प्रयागराज



ॐ संदेश ॐ

मुझे यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि कार्यालय की राजभाषा पत्रिका 'तरंग' अपने 145-146वें अंक की स्वर्णिम यात्रा पूर्ण कर रही है, जिसके लिए मैं संपादक मंडल एवं समस्त रचनाकारों को बहुत-बहुत बधाई देती हूँ।

हिन्दी भारत की संविधान सम्मत राजभाषा है। नदी के सुन्दर और मजबूत तटबंधों और उस पर बसे नगरों की भांति ही वर्तमान समाज का दायित्व राजभाषा हिन्दी की शब्द संपदा और उसके शब्दानुशासन को सुंदर और मजबूत बनाना है, जिससे यह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति सहजता और सुदृढ़ता से कर सके। यह वर्तमान समाज का कर्तव्य और उत्तरदायित्व दोनों ही हैं और यही भविष्य का आधार भी बनेगा। हम अपनी भाषा से जितना दूर रहेंगे अपनी धरोहर, अपनी विरासत और अपनी संस्कृति से उतने ही दूर होते जायेंगे। यह समय है हिन्दी राजभाषा को सहज रूप में आत्मसात करने और इसकी समृद्धि में योगदान देने का।

यह पत्रिका हिन्दी के सहज और शाश्वत प्रवाह में सहयोगी बने तथा निरंतर अपने प्रगति पथ पर गतिमान रहे इस हेतु हार्दिक शुभकामनाएं।

Dedicated to Truth in Public Interest

पूजा कुमारी

उप महालेखाकार ए.एम.जी.-II
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम)
उत्तरप्रदेश, प्रयागराज

संपादक की कलम से...✍

समीर शुक्ला

(वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी)



राजभाषा की प्रगति में निरंतर क्रियाशील हमारे कार्यालय की गृह पत्रिका तरंग के 145-146वें संयुक्तांक का प्रकाशन अत्यंत हर्ष का विषय है। पत्रिका अपने साज-सज्जा एवं ज्ञानवर्धक सामाग्री के साथ आप सभी सुधी पाठकों के हाथों में है, जिस हेतु राजभाषा का कार्य देख रहे समस्त अधिकारी एवं कर्मचारीगण बधाई के पात्र हैं। पत्रिका में सम्मिलित रचनाएँ न केवल कार्मिकों की साहित्यिक अभिव्यक्ति हैं बल्कि उनके कार्यालयी निष्ठा की भी द्योतक हैं।

प्रधान महालेखाकार महोदय के संरक्षण में प्रकाशित पत्रिका का वर्तमान अंक मुख्यतः तीन खंडों में विभाजित हैं। पत्रिका के प्रथम खंड में प्रगति प्रतिवेदन को स्थान दिया गया है जिसके अंतर्गत कार्यालय का संक्षिप्त परिचय, शासन को प्रेषित प्रतिवेदन का संक्षिप्त विवरण, निष्पादन/विषयगत लेखापरीक्षा से संबंधित विषय एवं कार्यालय स्तर पर राजभाषा हिन्दी की प्रगति को शामिल किया गया है। पत्रिका का द्वितीय खंड कार्मिकों की विविधतापूर्ण साहित्यिक अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहा है।

तृतीय खंड के अंतर्गत कार्यालय की आंतरिक एवं बाह्य गतिविधियों को प्रमुखता से शामिल करते हुये इन सभी का सचित्र विवरण प्रस्तुत किया गया है, जो अत्यंत आकर्षक एवं प्रभावशाली है। इसके अतिरिक्त कार्यालय से सेवानिवृत्त हुये कार्मिकों की खट्टी-मीठी यादें तथा दिवंगत आत्माओं के स्मृति शेष उनके प्रति हमारी गहरी संवेदनाओं को बयां करते हैं।

गृह पत्रिका के प्रकाशन में सहयोग प्रदान करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के प्रति आभार प्रकट करते हुये मैं इसके स्वर्णिम भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनायें प्रेषित करता हूँ।

सौजन्यपूर्ण सहयोग

Dedicated to Truth in Public Interest

समीर शुक्ला

समीर शुक्ला

वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी

अनुक्रमणिका

क्र. सं.	शीर्षक	लेखक (सर्वश्री/सुश्री/श्री/श्रीमती)	पृष्ठ सं.
खंड-1: प्रगति प्रतिवेदन			
1.	कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा प्रथम) का संक्षिप्त परिचय		16
2.	लेखापरीक्षा रिपोर्ट		17
3.	निष्पादन लेखापरीक्षा		18
4.	हिंदी की वार्षिक प्रगति		23
खंड-2: कार्मिकों की अभिव्यक्ति			
1.	स्थानीय शासन लेखापरीक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र (iCAL) का उद्घाटन	वी के सिंह/वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी	25
2.	औरत एक औरत भी है	गोपाल कुमार/सहायक पर्यवेक्षक	27
3.	मूल्यवान कौन	सुमित कौशल/लेखापरीक्षक	28
4.	लक्ष्य	पुष्पा मिश्रा/सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी	29
5.	बाल भिक्षावृत्ति-एक गम्भीर समस्या	सुमित कौशल/लेखापरीक्षक	33
6.	जीवन के तत्व ज्ञान-प्रकाश से सम्बन्धित प्रश्नोत्तर	कमला शंकर मिश्रा/सहायक पर्यवेक्षक	35
7.	ज्ञान की बातें	कमला शंकर मिश्रा	36
8.	उच्च शिक्षा बनाम कौशल अर्जन	विनय कुमार गुप्ता/कनिष्ठ हिंदी अनुवादक	37
9.	दाँत का दर्द	कुमार सौरभ/वरिष्ठ लेखा परीक्षक	39
10.	तेरी यादें	कुमार सौरभ/वरिष्ठ लेखा परीक्षक	40
11.	यूँ ही चले आना तुम.....	शिवम सिंह/आशुलिपिक	41
12.	बयां ए लफ़्ज़	अमित कुमार/वरिष्ठ लेखापरीक्षक/प्रशिक्षण	42
13.	साइलेंट किलर	अर्चना प्रसाद/सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी	43
14.	कठिनाइयों की अकड़	सुधानंदन अंकित/भ्राता श्री काशी कुमार/डीईओ	45
15.	समाज में महिलाओं की स्थिति एवं आतंकवाद का प्रभाव	शाहिल पथिक/लेखा परीक्षक	46
16.	परोपकार	किरण लता/हिंदी अधिकारी	48

17. जीवन मे मित्रता का महत्व	किरण लता/हिंदी अधिकारी	50
18. मेरी प्यारी माँ	कीर्ति मेहरा/आशुलिपिक	53
19. मेरी कहानी मेरी जुबानी	कीर्ति मेहरा/आशुलिपिक	54
20. दृष्टिकोण	पुष्पा मिश्रा/स.ले.प. अधिकारी	55
21. जैसी करनी वैसी भरनी	सुश्री लक्ष्मी चौरसिया/लेखा परीक्षक	58
22. लोकतंत्र को मजबूत करने में नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की भूमिका (अतीत, वर्तमान और भविष्य)	उमाशंकर दूबे (स.ले.प. अधिकारी)	59
23. महिला सशक्तिकरण	जाह्नवी राय/लिपिक	64
24. हिंदी भाषा का महत्व	सदानन्द कुमार चटर्जी/सेवानिवृत्त वरिष्ठ सम्प्रेक्षक)	66
25. यादें	सुमन केसरी/वरिष्ठ लेखा परीक्षक	68
26. माँ	मो. शहनवाज/सम्प्रेक्षक	70

खंड-3: कार्यालय की गतिविधियाँ

1. हिंदी पखवाड़ा		72
2. सतर्कता जागरूकता सप्ताह		73
3. ऑडिट सप्ताह		74
4. गणतंत्र दिवस समारोह		76
5. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस		77
6. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस		78
7. पर्यावरण दिवस		79
8. सेवानिवृत्ति कार्यक्रम		80
9. स्वतंत्रता दिवस		82



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

सर्वोच्च न्यायालय

- सेवानिवृत्त कार्मिकों की सूची
- स्मृतिशेष



लोकहितार्थं सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest



INSTITUTION OF INDIA

विनायक सत्यनिष्ठा

खंड-1

Dedicated to Truth in Public Interest

प्रगति प्रतिवेदन

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम) का संक्षिप्त परिचय

मार्च 01, 1984 से भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के कार्यालयों को अलग-अलग लेखापरीक्षा एवं लेखा एवं हकदारी कार्यालयों में पुनर्गठित किया गया था। इस प्रकार, महालेखाकार (लेखापरीक्षा-1) और महालेखाकार (लेखापरीक्षा-2) के कार्यालय उसी तिथि से अस्तित्व में आए। महालेखाकार (लेखापरीक्षा-1) का कार्यालय पुराने परिसर में लेखा एवं हकदारी कार्यालयों के साथ स्थित था। जनवरी 1996 में लेखापरीक्षा कार्यालयों को 'सत्यनिष्ठा भवन' में स्थानांतरित कर दिया गया। महालेखाकार (लेखापरीक्षा-1) के कार्यालय को अगस्त 2002 में प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-1) के कार्यालय में उच्चैकृत किया गया और सितंबर 2004 से इसका नाम बदलकर कार्यालय प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखापरीक्षा) नामित कर दिया गया। उत्तर प्रदेश राज्य के पुनर्गठन और उत्तराखंड राज्य के निर्माण के परिणामस्वरूप, 2004 में कैंडर का पृथक्करण हुआ। 01.06.2006 को इन दोनों राज्यों के बीच लेखापरीक्षा और लेखा व्यवस्था को पुनर्गठित करने के लिए प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखापरीक्षा) के प्रशासनिक और तकनीकी नियंत्रण के तहत वरिष्ठ उप महालेखाकार (स्थानीय निकाय) का एक अलग कार्यालय जुलाई 2004 में मुख्यालय कार्यालय द्वारा बनाया गया था।

मुख्यालय कार्यालय द्वारा कार्यालय आदेश क्रमांक.109. एस.एम.यू./पी.पी./पुनर्गठन/5-2011 दिनांक 27 मार्च 2012, द्वारा निर्देश दिया गया कि कार्यालय प्रधान महालेखाकार (सिविल ऑडिट), उत्तर प्रदेश, अब उत्तर प्रदेश सरकार के सामाजिक और सामान्य सेवा विभागों का प्रधान लेखापरीक्षक होगा और अब से इसे कार्यालय प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा), उत्तर प्रदेश कहा जाएगा। स्थानीय निकायों के लेखापरीक्षा और लेखा से संबंधित सभी तकनीकी मार्गदर्शन और सहायता कार्य और कर्तव्य भी इस कार्यालय द्वारा निष्पादित किए जाएंगे। कार्यालय वरिष्ठ उप महालेखाकार (स्थानीय निकाय लेखापरीक्षा एवं लेखा) को कार्यालय प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा), उत्तर प्रदेश में विलय कर दिया गया और कार्यालय में उप महालेखाकार के पद को प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा), उत्तर प्रदेश के कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया।

कार्यालय महालेखाकार (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा), उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश सरकार के आर्थिक सेवा विभागों का प्रधान लेखापरीक्षक होगा और अब से इसे महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) का कार्यालय कहा जाएगा। इस विषय के सभी पिछले आदेशों का अधिक्रमण कर दिया गया।

मुख्यालय कार्यालय ने कार्यालय आदेश संख्या 108-एसएमयू/पी पी/पुनर्गठन/5-2011 दिनांक 27 मार्च 2012 के तहत उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड राज्यों में स्थित सभी केंद्र सरकार इकाइयों (स्वायत्त निकायों सहित) की सभी प्राप्ति और व्यय के लेखापरीक्षा के लिए इलाहाबाद और पटना में शाखा कार्यालयों के साथ लखनऊ में प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय) का एक नया कार्यालय खोलने का निर्देश दिया।

मुख्यालय कार्यालय ने अधिसूचना संख्या 110/09-एस एम यू/2020 दिनांक 15 मई 2020 के माध्यम से निर्देश दिया कि एस एम यू की अधिसूचना संख्या 59/31-एस एम यू/2018 दिनांक 09/03/2020 में निहित

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के आदेशों को ध्यान में रखते हुए, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को अब से प्रधान महालेखाकार के कार्यालय के रूप में जाना जाएगा।

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) उत्तरप्रदेश, लखनऊ को अब से कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) के रूप में जाना जायेगा।

मुख्यालय कार्यालय ने कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद और कार्यालय प्रधान महालेखाकार (ऑडिट-II), उत्तर प्रदेश, लखनऊ के बीच निम्नानुसार क्लस्टर आवंटित किए हैं:

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद	कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), उत्तर प्रदेश, लखनऊ
1. स्वास्थ्य एवं कल्याण	1. ऊर्जा और शक्ति
2. शिक्षा, कौशल विकास और रोज़गार	2. उद्योग और वाणिज्य
3. ग्रामीण विकास	3. परिवहन
4. कृषि, खाद्य एवं संबद्ध उद्योग	4. पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
5. जल संसाधन	5. सार्वजनिक कार्य
6. शहरी विकास	6. वित्त
7. कानून एवं व्यवस्था	7. सूचना प्रौद्योगिकी और संचार
8. सामान्य प्रशासन	8. संस्कृति एवं पर्यटन

समूह अधिकारियों के प्रभार को लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह (ए.एम.जी.) कहा जाएगा। समूहों प्रभार के बीच क्लस्टर का वितरण इस प्रकार है:

लेखापरीक्षा-I, इलाहाबाद		लेखापरीक्षा-II, लखनऊ	
ए. एम. जी.-I	ग्रामीण विकास	ए. एम. जी.-I	वित्त
ए. एम. जी.-II	शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	ए. एम. जी.-II	ऊर्जा और शक्ति, आईटी और संचार
ए.एम.जी.-III	कृषि, खाद्य एवं संबद्ध इंडस्ट्रीज जल संसाधन	ए.एम.जी.-III	उद्योग एवं वाणिज्य परिवहन संस्कृति और पर्यटन
ए. एम. जी.-IV	स्वास्थ्य और कल्याण	ए.एम. जी.-IV	पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी लोक कार्य
ए. एम. जी.-V	शहरी विकास कानून एवं व्यवस्था सामान्य प्रशासन		
कार्यालय प्रशासन का प्रभार विशेष रूप से एक ग्रुप अधिकारी के पास होगा।		ए. एम. जी.-III के लिए कार्यालय प्रशासन का प्रभार समूह अधिकारी के पास होगा।	
		ए. एम. जी.-IV इलाहाबाद स्थित शाखा कार्यालय से तैयार किया जाएगा।	

निष्पादन लेखा परीक्षा

उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 65 प्रतिशत कृषि पर निर्भर है। अतः कृषि का संधारणीय विकास, राज्य के समग्र विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। राज्य के कुल 240.93 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में से 187.75 लाख हेक्टेयर (78 प्रतिशत) कृषि भूमि है, जिसमें से 143.89 लाख हेक्टेयर (77 प्रतिशत) शुद्ध सिंचित क्षेत्र है। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, राज्य में नहर नेटवर्क के निर्माण, संचालन एवं अनुसंधान के लिए उत्तरदायी है। अप्रैल 2014 से मार्च 2021 की अवधि को आच्छादित करते हुए बाणसागर नहर परियोजना एवं चौधरी चरण सिंह लहचुरा डैम आधुनिकीकरण परियोजना की सतह सिंचाई के प्रतिफलों की निष्पादन लेखापरीक्षा, दोनों नहर परियोजनाओं की दक्षता और प्रभावशीलता को आकलित करने हेतु सम्पादित की गयी थी। इस प्रतिवेदन का उद्देश्य उन क्षेत्रों की पहचान करना है जिनमें प्रणालीगत कमियों में सुधार एवं उन्नति की आवश्यकता है। बाणसागर डैम से 34,008 मिलियन घन फीट पानी का उपयोग करने के लिए बाणसागर नहर परियोजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में नहरों का निर्माण इस उद्देश्य से किया जाना था कि बाणसागर नहर परियोजना के संचालित होने के पश्चात् प्रयागराज और मिरजापुर जनपदों में 2.32 लाख हेक्टेयर के कृषि योग्य कमाण्ड क्षेत्र में मौजूदा नौ नहर प्रणालियों की सिंचाई सघनता 85 प्रतिशत से बढ़ाकर 150 प्रतिशत किया जा सके। परियोजना को केंद्रीय जल आयोग द्वारा जनवरी 1994 में रु. 330.19 करोड़ की अनुमानित लागत पर अनुमोदित किया गया था। यद्यपि, परियोजना की अग्रेतर प्रगति धीमी रही जिसके कारण परियोजना के पूर्ण होने के निर्धारित समय वर्ष 2004 को चार बार संशोधित करना पड़ा जिसका प्रभाव समय और लागत वृद्धि के रूप में पड़ा तथा परियोजना जुलाई 2018 में संचालित की जा सकी। राज्य सरकार ने 1996-97 से 2020-21 के दौरान बाणसागर नहर परियोजना पर रु. 3,419.37 करोड़ व्यय किया। लहचुरा डैम अपने स्वयं के जल भंडारण के अतिरिक्त पहाड़ी डैम से भी जल प्राप्त करता है। लहचुरा और पहाड़ी डैम, दोनों की संरचनाएं पुरानी और अप्रचलित हो गई थी जिसके कारण पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए मौजूदा शटर व्यवस्था मानसून के दौरान परिचालन में समस्या पैदा कर रही थी। चौधरी चरण सिंह लहचुरा डैम परियोजना फरवरी 1979 में रु. 7.04 करोड़ की अनुमानित लागत पर अनुमोदित की गयी थी और इससे जुड़े पहाड़ी डैम की परियोजना फरवरी 2008 में रु. 76.68 करोड़ की अनुमानित लागत पर अनुमोदित की गयी थी। कार्यों की धीमी प्रगति के कारण लहचुरा डैम परियोजना और पहाड़ी डैम परियोजना क्रमशः मार्च 2015 और मार्च 2018 में पूर्ण हुई। राज्य सरकार ने लहचुरा डैम परियोजना पर 1978-79 से 2014-15 की अवधि में रु. 328.30 करोड़ और पहाड़ी डैम परियोजना पर 2009-10 से 2017-18 की अवधि में रु. 354.20 करोड़ व्यय किया। अपर बाणसागर नहर परियोजना एवं लहचुरा डैम परियोजना के सतह सिंचाई के प्रतिफलों की निष्पादन लेखापरीक्षा लेखापरीक्षा में संज्ञान में आया कि यद्यपि सरकार ने दोनों परियोजनाओं पर बड़ी धनराशि व्यय किया किन्तु दोनों परियोजनाओं के प्रतिफल जैसे नहर नेटवर्क में जल उपलब्धता में वृद्धि, अतिरिक्त सिंचाई सघनता का सृजन और क्रापिंग पैटर्न में परिवर्तन, लगभग अप्राप्त रहे। प्रतिफलों की प्राप्ति नहीं हो पाने का कारण, मौजूदा नहर प्रणालियों की पुनर्रचना हेतु वृत्तिपूर्ण नियोजन, डैमों की अपर्याप्त जल भंडारण क्षमता, नहरों में पानी की अपर्याप्त आपूर्ति जिसके परिणामस्वरूप नहरें पूरी फसल अवधि में संचालित नहीं की जा सकी, रहा।

अनुशंसा 1: राज्य सरकार को लहचुरा डैम और पहाड़ी डैम की जल भंडारण क्षमता में वृद्धि करने की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए अध्ययन करना चाहिए ताकि धसान नदी से पर्याप्त जल का भंडारण किया जा सके।

अनुशंसा 2: राज्य सरकार को बाणसागर नहर परियोजना की नौ नहर प्रणालियों और धसान नहर प्रणाली के अन्तर्गत नहरों की पुनर्रचना/पुनरोद्धार का कार्य कुशलता एवं प्रभावी ढंग से करना चाहिए।

अनुशंसा 3: राज्य सरकार को दोषपूर्ण सर्वेक्षण करने और परियोजनाओं की आवश्यकताओं का दोषपूर्ण आकलन करने के मामले की जांच करनी चाहिए और दोषी अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करना चाहिए।

अनुशंसा 4: सिंचाई परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के सम्बन्ध में कठोर एवं प्रभावी निगरानी तंत्र तैयार करने की तत्काल आवश्यकता है।

अनुशंसा 5: राज्य सरकार को निष्पक्ष और पारदर्शी अनुबंध की शर्तें लगाकर तथा निविदाओं को व्यापकता के साथ प्रकाशित करा कर निविदा में प्रतिस्पर्धा में वृद्धि करना चाहिए और विस्तृत प्राक्कलन तैयार करने में हो रही त्रुटियों को दूर करना चाहिए।

अनुशंसा 6: राज्य सरकार बाणसागर नहर परियोजना में श्रम तथा पेट्रोल, तेल और ल्यूब्रीकेन्ट के मूल्य समायोजन के लिए प्रतिशत भारांक प्रदान करने के आधार की समीक्षा पर बाणसागर नहर परियोजना एवं लहचुरा डैम परियोजना के सह सिंचाई के प्रतिफलों की निष्पादन लेखापरीक्षा कर सकती है तथा वास्तविक उपयोग के आधार पर प्रतिशत भारांक न लगाकर मनमाने ढंग से इनके भारांक निर्धारित करने के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई कर सकती है।

अनुशंसा 7: राज्य सरकार को समय-वृद्धि प्रदान करने, लागत भिन्नताओं और अतिरिक्त मदों पर स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश और निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। विभाग, शासकीय निर्देशों की अवहेलना करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई कर सकता है।

अनुशंसा 8: चूंकि नहरों के मध्य परिकल्पित संयोजन सुनिश्चित किये बिना ही बाणसागर नहर परियोजना को पूर्ण कर दिया गया था, इसलिए राज्य सरकार को व्यापक समीक्षा के माध्यम से इस मामले में हुई कमियों का आकलन करना चाहिए, इस हेतु उत्तरदायित्व निर्धारित करना चाहिए एवं सुधारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए।

अनुशंसा 9: बाणसागर डैम से जल की निर्धारित आपूर्ति प्राप्त करने तथा इससे जुड़ी नहर प्रणालियों में अग्रेतर जल प्रवाह में आ रही बाधाओं को चिह्नित करने और उसका उपाय करने की तत्काल आवश्यकता है। सृजित सिंचाई क्षमता के इष्टतम उपयोग हेतु राज्य सरकार को समयबद्धता एवं समन्वय के साथ आवश्यक कार्यों का आकलन कर उन्हें सम्पादित करना चाहिए।

अनुशंसा 10: राज्य सरकार को उन परिस्थितियों का पता लगाने के लिए उचित जांच करनी चाहिए जिनके कारण धसान नहर प्रणाली के 97,169 हेक्टेयर कमाण्ड क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का विस्तार नहीं किया जा सका।

अनुशंसा 11: राज्य सरकार को कृषि विभाग और सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के मध्य उचित समन्वय सुनिश्चित करना चाहिए ताकि उपलब्ध जल का इष्टतम उपयोग किया जा सके, फसलों में उपयुक्त ब्राँपिंग पैटर्न अपनाए और परिणामी उच्चतर उत्पादकता और उत्पादन प्राप्त करने हेतु कृषकों को कृषि आदानों का समय पर पर्याप्त वितरण किया जा सके। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में सभी हितधारक विभागों को सम्मिलित करते हुए एक कन्वर्नेन्स प्लान होना चाहिए ताकि कमाण्ड क्षेत्र का विकास समन्वित ढंग से किया जा सके।

अनुशंसा 12: राज्य सरकार को प्राथमिकता के आधार पर जल उपभोक्ता संघ के गठन की कार्यवाही करनी चाहिए ताकि जनभागीदारी से नहर प्रणालियों का प्रभावी ढंग से संचालन किया जा सके।

74 वें संविधान संशोधन अधिनियम के क्रियान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार की गयी भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की प्रतिवेदन संख्या 05 वर्ष 2024, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के क्रियान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन उत्तर प्रदेश के विधान मण्डल में दिनांक 01 अगस्त 2024 को प्रस्तुत की गयी।

74वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो 1 जून 1993 को लागू हुआ, ने लोकातांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए एक स्पष्ट अधिदेश प्रदान किया और देश के शहरी क्षेत्रों में स्व-शासित स्थानीय निकायों के माध्यम से जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की शुरुआत के लिए एक संस्थागत ढांचा तैयार किया। इसने शहरी स्थानीय निकायों को संविधान की 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 18 कार्यों को करने का अधिकार दिया। तदनुसार, राज्य सरकार ने निधियों, कार्यों और पदाधिकारियों के संदर्भ में शहरी स्थानीय निकायों को अधिकार देने के लिए उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (यूपीएम अधिनियम) और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (यूपीएमसी अधिनियम) में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के आवश्यक प्रावधानों को शामिल करने के लिए उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वशासन कानून (संशोधन) अधिनियम 1994 अधिनियमित (मई 1994) किया।

इस लेखापरीक्षा का उद्देश्य संविधान की 12वीं अनुसूची में निहित कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समुचित रूप से बनायी गई संस्थाओं के सृजन और पर्याप्त संसाधनों के हस्तांतरण के माध्यम से शहरी स्थानीय निकाय के सशक्तिकरण को सुनिश्चित करना था।

लेखापरीक्षा में शहरी स्थानीय निकायों हेतु संस्थागत तंत्र के प्रावधान और कामकाज में कमियाँ पायी गयी क्योंकि राज्य सरकार द्वारा शहरी स्थानीय निकायों के लिए निर्धारित 18 कार्यों में से 15 कार्य पूर्ण रूप से तथा एक कार्य आंशिक रूप से ही हस्तान्तरित किया। इसके अतिरिक्त शहरी स्थानीय निकायों को इन हस्तान्तरित कार्यों के निर्वहन में स्वायत्तता की कमी थी, क्योंकि वे मात्र एक कार्य के क्रियान्वयन के लिए ही पूरी तरह से उत्तरदायी थे और अन्य कार्यों के क्रियान्वयन में या तो इनकी सीमित भूमिका थी अथवा कोई भूमिका नहीं थी।

वार्डों के परिसीमन में देरी के फलस्वरूप वर्ष 2017 के शहरी स्थानीय निकायों के चुनावों में देरी हुयी। इसके बाद शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव मई 2023 में हुए। राज्य सरकार ने विलंब से परिषदों में सदस्यों को नामित किया। नमूना जाँच की गयी शहरी स्थानीय निकायों में परिषद और कार्यकारी समिति की बैठकों में कमी थी और बैठकों की कार्यसूची भी बैठक के निर्धारित समय से पूर्व पार्षदों/सदस्यों को प्रेषित नहीं की गई थी। नमूना जाँच की गयी शहरी स्थानीय निकायों ने उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक विभिन्न समितियाँ जैसे वार्ड समिति एवं संयुक्त समिति का गठन नहीं किया था।

नियोजन प्रक्रिया में भी कमी थी क्योंकि नमूना जाँच की गयी शहरी स्थानीय निकायों में से किसी ने भी वार्षिक विकास योजना तैयार नहीं की थी। इसके साथ ही चयनित जिलों में जिला योजना समिति द्वारा पंचायतों

और नगरपालिकाओं के बीच सामान्य हितों के मामलों के संबंध में जिला विकास योजना तैयार नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त, महानगर क्षेत्र हेतु विकास योजना तैयार करने के लिए राज्य में महानगर योजना समिति का भी गठन नहीं किया गया था। नमूना जाँच की गयी शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 के प्रावधानों के अनुरूप ठोस प्रबंधन योजना भी तैयार नहीं की गई थी। केन्द्र/राज्य प्रायोजित योजनाओं की नियोजन प्रक्रिया में शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका भी सीमित थी। इसके अलावा, चयनित कार्यों के क्रियान्वयन में शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका संचालन और अनुरक्षण तक ही सीमित थी। नमूना जाँच की गयी शहरी स्थानीय निकायों द्वारा चयनित सेवाएं केन्द्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण अभियन्त्रण संगठन के सेवा स्तर बेंचमार्क के अनुरूप प्रदान नहीं की जा सकी।

शहरी स्थानीय निकायों के पास मानव संसाधनों पर अधिकार का अभाव रहा क्योंकि पदों की स्वीकृति, कर्मचारियों के लिए परिलब्धियाँ आदि तय करने के संबंध में शक्तियाँ राज्य सरकार में निहित थी और विभिन्न सेवाओं के अंतर्गत कर्मचारियों की भर्ती में शहरी स्थानीय निकायों की कोई भूमिका नहीं थी, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न सेवाओं के अंतर्गत मानव संसाधनों में 43 प्रतिशत तक की कमी थी।

लेखापरीक्षा में शहरी स्थानीय निकायों के संसाधनों में अपर्याप्तता भी पायी गई क्योंकि शहरी स्थानीय निकायों के राजस्व आधार को निर्धारित करने की शक्तियाँ राज्य सरकार के पास थीं। शहरी स्थानीय निकायों का स्वयं का राजस्व नाममात्र था और केन्द्रीय और राज्य वित्त आयोगों की संस्तुतियों के आधार पर केन्द्र और राज्य सरकारों से वित्तीय अंतरण शहरी स्थानीय निकायों के राजस्व का बड़ा हिस्सा था। स्वयं के राजस्व के कई संभावित स्रोतों को शहरी स्थानीय निकायों द्वारा चिह्नित या अनुकूलित नहीं किया गया था। इसके अलावा, शहरी स्थानीय निकायों को निर्दिष्ट राजस्व के अवमुक्त होने में भी कमी थी।

राज्य वित्त आयोगों के गठन में न केवल विलंब हुआ बल्कि इसके प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने और स्वीकार करने में भी विलंब हुआ। इसके अलावा, राज्य वित्त आयोग की स्वीकृत संस्तुतियों के लागू होने में भी देरी हुई या अभी तक लागू नहीं की गई। नमूना जाँच किए गए शहरी स्थानीय निकायों के बजट अनुमान अवास्तविक थे और बजट अनुमान और वित्तीय लेखों को तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश नगरपालिका लेखा मैनुअल 2018 के प्रारूप भी शहरी स्थानीय निकायों द्वारा नहीं अपनाए गए थे। इसके अलावा बजट अनुमान या तो परिषद को प्रस्तुत नहीं किये गए थे अथवा परिषद द्वारा विलंब के साथ अनुमोदित किए गए थे। शहरी स्थानीय निकायों की सहायता के लिए निर्धारित लघु लेखा शीर्ष के अंतर्गत राज्य विधानमंडल द्वारा विनियोजित अनुदानों को राज्य सरकार ने सीधे पैरास्टेटलों को अंतरित किया। इसके अलावा, अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के रूप में शहरी स्थानीय निकायों की प्राप्तियों को राज्य सरकार ने समर्पित नगरीय परिवहन निधि में भी अंतरित किया। वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत प्रवेश कर (शहरी स्थानीय निकायों के उपयोग के लिए दांचागत विकास निधि बनाने के लिए माल की आवाजाही पर देय) को शामिल करने पर शहरी स्थानीय निकायों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया था।

निधियों के उपयोग, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की शक्तियों और कार्यों के क्रियान्वयन के संबंध में शहरी स्थानीय निकायों पर कई प्रतिबंध/सीमाएं लगाई गई थीं।

निष्पादन लेखापरीक्षा का विवरण, वर्ष-2023-2024

निष्पादन लेखापरीक्षा	निष्पादन लेखापरीक्षा का शीर्षक
निष्पादन लेखापरीक्षा (केन्द्रीय)	'स्मार्ट सिटी मिशन का कार्यान्वयन' पर केन्द्रीय निष्पादन लेखापरीक्षा
	'राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान' पर केन्द्रीय निष्पादन लेखापरीक्षा
	'भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाना एवं विनिर्माण' पर केन्द्रीय निष्पादन लेखापरीक्षा
	'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (अपडेशन)' पर केन्द्रीय निष्पादन लेखापरीक्षा
विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा	'भूमि अभिलेखों का प्रबंधन' पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा
	'ई-खरीद' पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा
	'उत्तर प्रदेश में शहरी स्थानीय निकायों द्वारा 14वें एवं 15वें वित्त आयोग के अनुदान का उपयोग' पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा
निष्पादन लेखापरीक्षा	'उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी' पर निष्पादन लेखापरीक्षा
	'प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण' पर निष्पादन लेखापरीक्षा
	'आयुष' पर निष्पादन लेखापरीक्षा

SUPREME AUDIT INSTITUTE OF INDIA

सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया

Dedicated to Truth in Public Interest

हिन्दी की वार्षिक प्रगति

राजभाषा विभाग द्वारा जारी विभिन्न (क, ख, एवं ग) क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों के लिए हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में कार्यालय निरंतर प्रयासरत है। हम राजभाषा विभाग द्वारा हिन्दी पत्राचार, हिन्दी टिप्पणी एवं हिन्दी में किए जाने वाले अन्य कार्यों हेतु प्रदत्त लक्ष्यों की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। वर्ष 2023-24 के दौरान कार्यालय द्वारा किए गए पत्राचार में हिन्दी की भागीदारी करीब 98.93 प्रतिशत रही तथा कार्यालय में हिन्दी टिप्पणी का योगदान लगभग 96.32 प्रतिशत रहा।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकों का भी नियमित रूप से आयोजन किया जा रहा है। प्रधान महालेखाकार महोदय की अध्यक्षता में आयोजित उक्त बैठकों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए तथा उनका अनुभाग स्तर से अनुपालन भी सुनिश्चित किया गया।

इसके अतिरिक्त राजभाषा विभाग के निर्देशानुसार कार्यालय प्रमुख द्वारा निर्धारित वार्षिक कार्यक्रम के अनुरूप हिन्दी अनुभाग द्वारा कार्यालय के विभिन्न अनुभागों का निरीक्षण किया गया एवं हिन्दी के प्रगामी प्रयोग संबंधी सुझाव भी प्रेषित किए गए।

राजभाषा विभाग के निर्देशानुसार प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाले हिन्दी पखवाड़े के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है। पखवाड़े के दौरान हिन्दी निबंध प्रतियोगिता, हिन्दी टिप्पणी एवं मसौदा पत्र लेखन प्रतियोगिता, हिन्दी टंकण प्रतियोगिता, अनुवाद प्रतियोगिता, हिन्दी ज्ञान संबंधी विभिन्न प्रतियोगिताएँ/क्विज प्रतियोगिताएँ आदि आयोजित की जाती हैं। हिन्दी पखवाड़े को कार्यालय में उत्सव का स्वरूप प्रदान करते हुये कार्यालय के कर्मिकों की सहभागिता ऊर्जा प्रदान करने वाली होती है। पखवाड़े के समापन समारोह के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार भी वितरित किया जाता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, कार्यालय में हिन्दी की प्रगति सुनिश्चित करने हेतु मुख्यालय स्तर से प्राप्त दिशानिर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। 'क' क्षेत्र से संबन्धित होने के कारण हिन्दी की प्रगति में इस कार्यालय का उत्तरदायित्व और भी वृहद है तथा इसके निर्वहन हेतु हम सभी निरंतर प्रयासरत भी हैं।



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थं सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA खंड-2

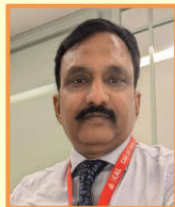
लोकहितार्थं सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

कार्मिकों की अभिव्यक्ति

स्थानीय शासन लेखापरीक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र (iCAL) का उद्घाटन

श्री वी.के. सिंह
वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी



स्थानीय शासन निकायों के लेखापरीक्षण के लिए वैश्विक मानक निर्धारित करने के उद्देश्य से भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक महोदय श्री गिरिश चंद्र मुर्मू जी द्वारा गुरुवार 18 जुलाई 2024 को राजकोट में स्थानीय शासन की लेखापरीक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र (iCAL) का उद्घाटन किया। iCAL, स्थानीय शासन निकायों के लेखापरीक्षण के लिए देश में ऐसा पहला प्रशिक्षण केंद्र है, जो उद्घाटन-दिवस से कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) गुजरात, राजकोट के कार्यालय भवन से कार्य कर रहा है एवं इसी कार्यालय के क्रीडांगन में प्रस्तावित नवीन iCAL प्रशिक्षण भवन स्थापित किया जाना है।



18 जुलाई 2024 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक महोदय श्री गिरिश चंद्र मुर्मू स्थानीय शासन की लेखापरीक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र (iCAL) का उद्घाटन करते हुए

स्थानीय शासन की लेखापरीक्षा के प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र (iCAL) की स्थापना का प्राथमिक उद्देश्य लेखा परीक्षकों, अधिकारियों और स्थानीय सरकारों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण और नेतृत्व के माध्यम से अपनी भूमिकाएं प्रभावी ढंग से निर्वहन के लिए सशक्त बनाना है। अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र, 'इंटरैक्टिव कार्यशालाओं, ज्ञान साझाकरण सत्रों, आदि के माध्यम से राष्ट्रों में जमीनी स्तर पर शासन के मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक ज्ञान केंद्र और थिंकटैंक के रूप में भी कार्य करेगा तथा देश की 2.50 लाख पंचायतों और 8,000 शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के बीच सहयोग बढ़ाना, ज्ञान का आदान-प्रदान करना, सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देने हेतु विशिष्ट केंद्र की तरह कार्य करेगा।



भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक महोदय श्री गिरीश चंद्र मुर्मू स्थानीय शासन की लेखापरीक्षा के प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र (iCAL) भवन के लिए शिलान्यास करते हुए (18 जुलाई 2024)
iCAL स्थानीय शासन से जुड़े नीति निर्माताओं, प्रशासकों और लेखापरीक्षकों के लिए एक सहयोगी मंच होगा।



iCAL के उद्घाटन के अवसर पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक महोदय श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जी के साथ भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग के अधिकारीगण

इसके माध्यम से त्रिस्तरीय स्थानीय शासन (ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकाय) के लेखापरीक्षकों की क्षमता निर्माण के लिए बेहतर वित्तीय सलाह, आवधिक मूल्यांकन, सेवा वितरण और डेटा रिपोर्टिंग आदि के लिए प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जायेगा।

इस अवसर पर 8 राज्यों के लेखापरीक्षा कार्यालयों यथा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना एवं गुजरात के 'लेखापरीक्षा स्थानीय निकाय' के वर्गाधिकारियों के साथ साथ वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारियों को आमंत्रित किया गया था जो दिनांक 19-20 जुलाई 2024 को दो दिवसीय प्रशिक्षण हेतु iCAL प्रशिक्षण केंद्र के पहले प्रशिक्षु के रूप में शामिल हुए।

इस अवसर पर राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश एवं गुजरात राज्यों के निदेशक स्थानीय निधि लेखापरीक्षा भी आमंत्रित किये गए थे जिन्होंने प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान स्थानीय निधि लेखापरीक्षा से सम्बंधित अपने बहुमूल्य विचारों एवं अनुभवों को साझा किया जिससे प्रशिक्षण कार्यक्रम बहुआयामी सिद्ध हुआ।

औरत एक औरत भी है

गोपाल कुमार
(सहायक पर्यवेक्षक)



औरत कभी माँ है
कभी बहन, कभी बेटी
तो कभी पत्नी या प्रेयसी
इन सब से अलग
औरत एक औरत भी है।

जो अपने आप में जीती है
अपने आप में मरती है
उफ़ भी नहीं करती है और
पुरुष के अहं को टूटने से
बचाए रखती है।

वह जानती है
पुरुष एक बार टूट जाएगा तो

दोबारा जुड़ नहीं पाएगा
जबकि औरत?
औरत ने पायी है मिट्टी की प्रकृति

टूटते ही, अपने आंसुओं से
गूँथेगी खुद को और जुड़ जाएगी
नई परिस्थितियों से।

मूल्यवान कौन

श्री सुमित कौशल

लेखापरीक्षक



एक बार नंबरों के बीच बहस छिड़ गई। नंबर एक से दो ने कहा, “मैं तुमसे बड़ा हूँ।”

तीन झट से बोला, “अपनी तारीफ करना बंद करो, मैं तुम दोनों से बड़ा हूँ।”

तभी नंबर चार बोला, “मैं क्या तुमसे हीन हूँ? तुम्हीं मुझ से हीन हो।”

नंबर पाँच हँसते-हँसते बोला—“मेरे आगे तुम कुछ भी नहीं। मैं तुम चारों से महान हूँ। तुमसे अधिक मूल्यवान हूँ।”

छह, सात, आठ और नौ भला कैसे चुप रहते। प्रत्येक अंक को अपना ही मूल्य बड़ा और अधिक लगा। सब बड़-चड़कर बोलने लगे।

जीरो ने कुछ कहने के लिए अपना मुँह खोला तो सारे के सारे अंक उस पर बरस पड़े, “जीरो, तुम तो शून्य हो! तुम हमारे साथ रहने योग्य नहीं हो।”

जीरो मुस्कराते हुए बोला, “मैं मानता हूँ, मैं शून्य हूँ। मेरा कुछ भी मूल्य नहीं। मैं आपके आगे नहीं पीछे रहूँगा। मुझे भी अपने साथ रहने दो।”

सभी अंक बोले, “ठीक है पर तुम हमारे पीछे ही रहना, हमारे आगे आने की कोशिश मत करना।”

जीरो एक-एक करके सभी अंकों के पीछे लगता गया।

अरे! यह क्या? यह तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 बन गए।

अंकों को यह अनोखी बात समझ में आई। वे सोचने लगे, जब हम अकेले थे हमारा मूल्य बहुत कम था। मगर जीरो के हमारे पीछे आते ही हमारा मूल्य कई गुना बढ़ गया। इसी तरह बाकी अंकों के साथ भी मिलजुलकर रहने से हमारा मूल्य और बढ़ेगा।

इसलिए किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, सभी से मिलजुल कर रहना चाहिए।

लक्ष्य

पुष्पा मिश्रा

सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी



सुबह का समय भागम-भाग का ही रहता है। बच्चों को स्कूल भेजना, टिफिन से ले कर जूते-मोजे तक उनके हाथ में रखो तब भी कुछ न कुछ कमी रह ही जाती है। उस पर पतिदेव की 'बेडटी' की फरमाईश, उसके साथ ही ट्राली वाले की आवाज 'चलो छोटू'। अगर पड़ोसी देर तक सोना भी चाहें तो मजबूरी में ही बेचारे उठते होंगे। इतनी व्यस्त दिनचर्या में भी मैं अपना प्यारा सा दोस्त 'रेडियो' नहीं भुला पाती और सुबह की चिरपरिचित आकाशवाणी की धुन और फिर तो 10 बजे तक मैं और मेरा दोस्त, साथ ही रूटीन वर्क।

अरे यह क्या! यह तो आज कोई नया गीत सुनाई पड़ रहा है—'आओ स्कूल चलें हम'। मेरा विचारों का आदान-प्रदान स्वयं से ही चल रहा था कि अचानक कॉलबेल बजी, शायद काम वाली ही होगी।

दरवाजा खोला तो नीलम खड़ी थी। 'नीलम' मेरी कामवाली की छोटी बेटी है। 'भाभी जी, आज अम्मा के बुखार है तो आज हमका काम करे खातिर भेजा है।'।

मैं आश्चर्य में पड़ गयी कि ये काम करेगी, अभी मुश्किल से उसकी उम्र 6-7 वर्ष की ही होगी। मैंने पूछा 'तुम कैसे कर पाओगी, बेटा?' वो अजीब सी नजरों से मुझे देख रही थी।

शायद ये प्रश्न उससे अभी तक किसी ने नहीं किया होगा। मैंने थोड़ा-सा उसे सामान्य किया और कहा "अच्छा आओ, पहले चाय पी लो।" वो एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह पीछे-पीछे आई और बैठ गई तो मैंने उसे चाय की प्याली दी और नाश्ता दे कर उससे पूछा—तुम स्कूल नहीं जाती हो? चाय की प्याली उसके हाठों तक पहुँची ही थी कि वह फिर से विस्फारित नेत्रों से मुझे देखने लगी। मैंने उसे मीठी-सी झिड़की दी "क्या है जी, तुम बार-बार मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, बोलना नहीं आता है?"

इतना सहमा सा बचपन मैंने शायद अपने जीवन-काल में पहली बार देखा था। सोचा, थोड़ी देर इसे अकेला छोड़ दूँ तो ये शायद सहज हो पाये। मैं अपने दूसरे कार्यों में लग गई। 15-20 मिनट बाद देखा तो वो बड़े ध्यान से टी.वी. देखने में मगन थी। कुछ महसूस हुआ कि शायद अब ये सामान्य है तो मैंने कहा "नीलम, तेरा मन पढ़ाई करने का नहीं करता?"

करता है न भाभी जी, पर अम्मा कहती हैं कि पढ़ लिख के करना क्या, करना तो वही चौका-बासन ही है। "नीलम तू पढ़ाई करेगी तो तुझे अपना नाम लिखना आयेगा, तू कहानियाँ पढ़ सकेगी, बहुत मजा आयेगा स्कूल में कई सहेलियाँ मिलेंगी।"

मैंने देखा उसकी आँखों में एक चमक की लहर सी उठी और फिर लुप्त हो गई। वो मेज पर पड़ी गुड़िया उलट-पलट कर देख रही थी। मैंने उससे फिर कहा, “तुझे ऐसी ही गुड़िया चाहिये तो पढ़ाई भी करनी होगी, बोल तू मुझसे पढ़ेगी?”

“अगर हम आपसे पढ़ेंगे तो काम कौन करेगा?” कुछ देर का मौन छाया रहा, मैंने कहा “काम तेरी अम्मा करेगी न।”

“नाही भाभी जी अम्मा हमारी जान निकाल डारिहै” इसी तरह प्रलोभन के साथ अन्ततः वह पढ़ने को राजी हो गई और ढेर सारी टाफियाँ और खिलौनों के साथ अगले दिन आने का वायदा कर के चली गई।

शाम को मैं पतिदेव को अति उत्साहित हो कर सब बताने लगी तो वे बोले, “देखो अनु, मैं तुम्हारी भावनाओं से वाकिफ हूँ, परन्तु इन लोगों की रोजी-रोटी का सहारा ही इनके बच्चे हैं। तन ढकने को भले ही ना हो, खाने में नमक रोटी ही हो पर हर साल एक बच्चे का जन्म तो होना ही है। तुम तो अभी दो माह से ही यहाँ आई हो पर मैं तो साल भर से यहाँ रह रहा हूँ और मुझे उसके पूरे परिवार का इतिहास मालूम है। कम से कम कुछ भी करने से पहले पूछ तो लिया करो। वह अपनी माँ की अकेली सन्तान तो नहीं है न, पाँच लड़कियाँ और दो लड़के, उसके बाद आखिरी है नीलम। पति किसी और के साथ रहता है। माँ रोज रात को नशा करती है। फिर वे मासूम बच्चे पिटते हैं। अगर भरपेट खा कर सो जायें तो यह उनके लिये बहुत नसीब वाला दिन होता है।” असीम एक ही सांस में बोले जा रहे थे और झलक रही थी, उनकी आँखों में नाराजगी, जो शायद मेरे ही लिये थी।

मैं हतप्रभ सी खड़ी थी किन्तु मैंने अपना रक्तचाप नियंत्रित रखते हुये उन्हें शान्त कराया, “आप नाहक ही टेंशन पाल रहे हैं, अच्छा छोड़िये ये बातें, पढ़ेगी तो उसकी मर्जी, उसका जीवन संवर जायेगा, मुझे क्या।”

खैर अगले दिन मैं सुबह से ही नीलम के बारे में सोच रही थी पर खुद को ही समझाती जाती कि मुझे क्या लेना, आये या न आये।

पतिदेव आफिस को प्रस्थान कर गये और ढेर सारी हिदायतें दे गये “देखो खुद को ज्यादा भावुक मत बनाओ, इस दुनिया में बहुत कुछ है जो हम चाह कर भी नहीं बदल सकते हैं। हमारे पास अपने ही टेंशन कम है जो तुम ये सब करना चाह रही हो।” मैं सिर हिलाकर उनकी बात सुनती गई, क्योंकि पता था कि ज्यादा तर्क करने का मतलब माहौल बिगाड़ना है।

सोचकरिताई प्रत्यक्षिक

मन में आशंका सी हो रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने उसकी लड़की को समझाया तो चिढ़ के कहीं काम न छोड़ दे। फिर क्या होगा, मैं कहाँ नयी कामवाली ढूँढ़ने जाऊँगी और इन्हें तो और ही कहने का मौका मिलेगा।

अब उपकार पर स्वार्थ हावी हो रहा था सो मैंने जल्दी से दुपट्टा ओढ़ा और ताला डाल कर उसकी बस्ती की तरफ चल दी।

नीलम की अम्मा कहाँ रहती है? यह प्रश्न दो-चार जगह दोहराना पड़ा तब मुझे उसके घर का पता चला। घर के बाहर चमचमाती सफेद गाड़ी खड़ी थी और नीलम लाल रंग का फ्राक पहने हुये थी जो शायद नया ही था, कभी कार का दरवाजा खोलती तो कभी बन्द करती, तब ही शायद, उसकी नजर मुझ पर पड़ी, “अम्मा, देखो वो कॉलोनी वाली भाभी जी।”

‘कमला’ मेरी काम वाली बाहर आयी, साथ में एक गोरी सी महिला गोद में बच्चा लिये निकली जो शायद कार की मालकिन लग रही थी। मैं कुछ बोलने की सोच ही रही थी कि कमला बोल पड़ी “भाभी जी, आज हम न आ पायेंगे, कल सुबेरे पक्का आयेंगे।”

“अरे नहीं कमला, मैं तो इधर से निकल ही रही थी, सोचा देख लूँ कि क्या तबियत खराब है, हाल-चाल ले लूँ।” बोलते हुये मन ही मन मुझे अपने ही बनावटीपन से चिढ़ हो रही थी।

“भाभी जी, नीलम को अपने साथ पूना ले जा रही है। अपने पास ही रखेगी, साल में एक बार मिलने देगी। कपड़ा-खाना सब फ्री रहेगा। हर महीने 5000 रुपया भेजेगी।”

बोलते हुये कमला की आँखें चमक रही थी। उसका इशारा कार वाली महिला की तरफ था, जो यह सुन कर अपने गर्वोन्मत्त चेहरे पर अजब सी स्मित की झलक दे रही थी।

मैं सुन कर अचम्भित थी पर इस समय कुछ भी बोलना मूर्खता ही थी। तब ही यो भद्र महिला कमला से मुखातिब हुई, अच्छा, बाई, शाम को बिटिया को तैयार रखना, ठीक 8 बजे गाड़ी है। ड्राईवर आयेगा, तुम साथ आना चाहो तो स्टेशन पर आ जाना।

कार में बैठ कर वह फरारि से निकल गई। मैंने कहा, “कमला तू इतना बड़ा फैसला ले रही है, नीलम को इतनी दूर भेज रही है। अरे जैसे भी रहती है, चाहे जैसे भी पल रही है तेरी आँखों के सामने तो है।”

“का पल रही है। भाभी जी। खाय बाले नौ ठो प्राणी और कमाई खातिर खाली हम मरते हैं। अरे इसके तो भाग्य अच्छे हैं जो बड़े घर में रहेगी।”

“पर कमला, ये वहाँ रहने से तो उसकी लड़की तो नहीं हो जायेगी, ये तो तू भी जानती है कि ये वहाँ नौकर ही रहेगी।” सुन कर थोड़ी सी चमक आँखों में घट गई पर हर महीने की रकम का लोभ उस पर हावी था।

तब ही मैंने नीलम को बुलाया, गोद में बिठा कर उससे पूछा, “तुम्हारी अम्मा, तुमको इतनी दूर भेज रही है, तुम्हारा मन वहाँ जाने को कर रहा है या फिर अम्मा जबरन ही भेज रही है?”

“नहीं भाभी जी, हम यहाँ नहीं रहेंगी, अम्मा कोई ऐसी होती है, खुद तो पी कर घर में पड़ी रहती है और हम लोग सब काम करते हैं। खाना नहीं देती, भूखे पेट सुलाती है, ज्यादा जिद करो तो नमक रोटी देती है। लात घूँसे से पीटती है। देखो तो कल हमारी बड़ी बहिन के सारे बाल ही काट डाले। सबसे बड़ी लड़की जो 14-15 वर्ष की थी, वो सहमी सी सामने खड़ी थी। पता है, भाभी जी, वो बार-बार शीशा देखती थी न इसलिये।”

मैं एकटक उस 7 साल की बच्ची का मुँह देख रही थी जो कल तक मुझे बेजुबान लग रही थी, आज अचानक उसके मन की गाँठें खुलती जा रही थीं।

हम लोग बच्चों को नादान ही समझते हैं परन्तु उम्र ही तो कसौटी नहीं, परिस्थितियाँ भी किसी को असमय परिपक्व कर देती हैं।

“हमें पेट भर खाना चाहिये, तन ढकने को अच्छे-अच्छे कपड़े चाहिये। खेलने को खिलौना चाहिये, पढ़ने से कुछ नहीं होता, पढ़ने से खाना नहीं मिलेगा। हम पूना जायेंगे, वहाँ खूब पढ़ेंगे और यहाँ कभी लौट कर नहीं आयेंगे, कभी नहीं नहीं; और वो जीभ निकाल कर अपनी माँ को चिढ़ाती हुई बाहर भाग गई।

मैं उस बच्ची के सामने स्वयं को बौना महसूस कर रही थी, जो हमारे देश के बड़े-बड़े नेता नहीं बोल पाते हैं वो सबक आज एक छोटी-सी बच्ची ने समझा दिया। सत्य ही तो है कि बाते तो बहुत बड़ी-बड़ी करते हैं—मसलन बाल श्रम अपराध है, पाप है, बचपन गीली मिट्टी जैसा है जिस पर हरेक छाप गहरी ही पड़ती है और मनचाहे आकार में ढल सकता है वगैरह-वगैरह। जैसे कि सुबह ही आकाशवाणी पर गूँजता वह संगीत—आओ बच्चों स्कूल चलें हम।

लेकिन स्कूल कैसे चलें। पहले उन मासूमों का पेट तो भरिये। वो तो पैदा होते ही अस्तित्व के लिये संघर्ष की जटोहद में धकेल दिये जाते हैं।

मेरे मन-मस्तिष्क में विचारों की उधेड़ बुन चल रही थी, पर मैं एक निर्णय ले चुकी थी। मैंने कहा “कमला तू पैसों के लिये ही इसे भेज रही है न? तो मैं तुझे एक सुझाव दे रही हूँ, मैं तुझे 5000 रुपया दूंगी पर नीलम की जिम्मेदारी तू मुझे सौंप दे। मैं अपने बच्चों की तरह रखूंगी और इसे आत्मनिर्भर बनाऊंगी।”

ये निर्णय बचकाना या भावुकता का निर्णय नहीं था। यह मेरा संकल्प था जिसका प्रमाण मेरे हाथों में यह लिफाफा है, जिसको पढ़ते ही 20 वर्ष पूर्व की स्मृतियाँ, मानस पटल पर तैर रही थीं।

वो 7 साल की नीलम आज पूरे 27 वर्ष की है और हेड नर्स बनकर शहर के सरकारी अस्पताल में आ रही है, जहाँ मेरे पति भी वरिष्ठ चिकित्सक हैं। यह मेरा और पतिदेव का ही प्रयत्न है कि आज वह अपने भरे पूरे परिवार के साथ हमारे सामने होगी। आज शायद ईश्वर के बाद वह मुझे ही मानती हो पर मैं ऐसा नहीं समझती क्योंकि जब मैंने यह निर्णय लिया था तो मेरा इरादा भगवान बनने का नहीं था। मैं तो सिर्फ एक शुरूआत ही करना चाहती थी। जो मन में घुमड़ता था, उसे यथार्थ में परिणित करना चाहती थी कि बच्चे, कोटियों, फ्लैटों में ही नहीं पाले जाते हैं।

समाज में अगर एक भी बच्चा अशिक्षित रह जाता है तो हम कितने भी दावे कर लें, सदियाँ बीतती जाती हैं और हम जहाँ खड़े थे, वहीं रह जाते हैं। कम से कम एक बालिका की सोच तो मैंने बदल ही दी कि पेट-पूजा के साथ अक्षर-पूजा नितान्त आवश्यक है।

बाल भिक्षावृत्ति-एक गम्भीर समस्या

श्री सुमित कौशल

लेखापरीक्षक



‘बचपन’ एक ऐसा शब्द, जिसे सुनते ही हर किसी की आंखें एक दीपक की भाँति जगमगाने लगती हैं और उन्हीं दिनों को फिर से पा लेने की लालसा होने लगती है।

एक सुप्रसिद्ध कवि द्वारा कही गई ये पक्तियाँ सबका मन उल्लास से भर देती हैं:—

बचपन तो होता है निराला, निश्छल, निर्मल, मस्ती वाला।

दुनियाँ से उसको क्या मतलब, वो तो खुद ही भोला-भाला।

परन्तु बचपन का कोई दूसरा रूप भी है जिससे शायद हम सब अछूते हैं। भारत के संविधान का हम सभी सम्मान करते हैं। संविधान में सभी लोगों को बराबर का दर्जा दिया है चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, लिंग आदि का हो। किसी में भी भेदभाव करना कानूनन अपराध माना गया है। इसलिए आज जाति प्रथा को समाप्त करने और महिलाओं को पुरुषों के बराबर दर्जा देने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन हमारे समाज का एक हिस्सा ऐसा भी है जो तेज़ी से विकास करते इस देश में बहुत पीछे छूट गया है, जिन्हें हम भिखारी कहते हैं।

‘भिक्षावृत्ति एक अभिशाप’ यह वे पक्तियाँ हैं जो हमें कभी विज्ञापनों में तो कभी पोस्टरों में अक्सर दिखाई दे जाती हैं जिन्हें पढ़कर हम भिखारियों को घृणा की दृष्टि से देखने लगते हैं। परन्तु क्या हमने कभी सोचा है कि हमारी इस घृणा का असली हकदार कौन है वह जो अपनी भूख मिटाने के लिए लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं, हर मौसम चाहे वो धूप हो, सर्दी हो या बारिश का सामना करते हुए इस गगन को ही अपनी छत समझकर रहते हैं, कूड़े के ढेर में खाने का सामान ढूँढ़ते हुए पाए जाते हैं या फिर वो लोग जो इनकी इस हालत के लिए जिम्मेदार हैं।

जिस जगह के पास से गुजरते समय हम अपनी नाक पर रूमाल रख लेते हैं वहाँ यह लोग अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं। परन्तु जब किसी को दोषी ठहराने की बात आती है तो हम इन्हें ही साफ-सुथरे शहर की गंदगी समझ लेते हैं। इनके जीवन को सुधारने के स्थान पर हम इनके जीवन को ही कोसने लगते हैं।

भारत में आदिकाल से ही दान करने की परम्परा चली आ रही है। दान मांगने पर कई दानवीर जैसे कर्ण, राजा हरिश्चन्द्र, बाली आदि ने अपने प्राण तक दान दे दिए। इन लोगों का नाम आज भी हमारे देश में आदर व सत्कार के साथ लिया जाता है। परन्तु आज के समय में यह धीरे-धीरे एक व्यवसाय का रूप अखियायार करती जा रही है। कहीं-कहीं तो लंगड़ा व अंधा बनकर बच्चों के सहारे गीत गाते हुए भिखारी पूरी ट्रेन का सफर करते हुए मिल जाते हैं। ऐसे में उनके साथ छोटा बच्चा केवल चार या पांच साल का होता है। इस तरह वह अपने साथ-साथ उस छोटे बच्चे को भी भिक्षावृत्ति की तरफ धकेल रहा है। यदि बचपन में ही किसी बच्चे को ऐसी परिस्थितियों में पाला जाए तो आगे जाकर क्या करेगा इसका अनुमान आप लगा सकते हैं।

बच्चों को भिक्षावृत्ति में धकेलने से उनका शारीरिक एवं भावात्मक शोषण तो हो ही रहा है साथ ही इनके मासूम चेहरों का भोलापन, उनकी मुस्कान, उनके सपनों को भी छीन रहा है। एक सुप्रसिद्ध कवि ने ठीक ही कहा है:—

कहां हैं वो बचपन, जो छूटे तो पछताए,
क्यों हैं वो परेशां, ये बचपन छटपटाये।
खिलने से पहले ही मुरझाता ये बचपन,
ये शोषित, ये कुटित, ये अभिशप्त बचपन।।

कविता की ये पक्तियां किसी का भी मन झंझोर सकती हैं।

सरकार की नज़र में भिक्षावृत्ति एक अपराध है और भीख मांगने वाले लोग एक अपराधी। लेकिन हैरत की बात है कि इन अपराधियों के लिए तो जेलों में भी कोई जगह नहीं होती। भिक्षावृत्ति बच्चों को कातिल बना रही हैं तो कुछ बच्चे अपराध का रास्ता पकड़ने को मजबूर हो रहे हैं। विभिन्न बाजारों, मोहल्लों व धार्मिक स्थानों पर भिक्षा मांगते महिलाओं व बच्चों के झुण्ड नज़र आ जाते हैं। दीन-दुखियों, अपाहिजों व अनाथों को दान देने की परम्परा पुण्य लाभ से जोड़ी गई है, परन्तु यही परम्परा समाज में कुष्ठ रोग की भांति फैलती जा रही है।

भिक्षावृत्ति इन बच्चों के मन तथा दैनिक जीवन में एक क्रीड़ा की भांति समा गई है। हम बड़े-बड़े लोग बिना किसी हिचक के इन बच्चों को बांट कर इन्हें भीख मांगने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। किसी स्वस्थ बच्चे व किशोर को भीख देकर हम उनके भविष्य व सामायिक विकास में बाधक बन रहे हैं।

बच्चों को भिक्षावृत्ति के इस अपराध से दूर ले जाना हमारा सामाजिक कर्तव्य ही नहीं है बल्कि इस पूरी मानव जाति को बचाने के लिए भी जरूरी है। इसके लिए सरकार को कुछ ठोस नीतियां बनानी चाहिए। परन्तु हमारे योगदान के बिना यह सभी प्रयास विफल हो सकते हैं—

- * इन बच्चों को पैसा न देकर, दैनिक इस्तेमाल की चीजें जैसे खाना, कपड़ा आदि दें।
- * हमें इन बच्चों के साथ प्रेम व आदर से बात करनी चाहिए और उनके साथ एक इंसान की तरह ही व्यवहार करना चाहिए ताकि व स्वयं को भी समाज का एक सम्मानजनक हिस्सा समझें।
- * बच्चों के हित में कार्य करने वाली संस्थाओं को व्यवस्थित व सुदृढ़ करना चाहिए।
- * पुलिस की मदद से उन सभी बच्चों की खोज करके, उनके माता-पिता को बच्चे के अच्छे भविष्य बनाने में सहयोग करने के लिए व उन्हें भी इन संस्थाओं से जुड़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए।

पर विडंबना यह है कि अधिकारी व कानून के रखवाले इस तरफ ध्यान नहीं देते। यह एजेंडा उनकी प्राथमिकता सूची में नहीं है।

यदि आज भी हमने बाल भिक्षावृत्ति रोकने के लिए पूरा ज़ोर नहीं लगाया तो शायद आने वाले कल में हमें इन बच्चों के चेहरों पर मुस्कान और भोलेपन की जगह एक भयंकर विद्रोहपूर्ण भाव देखना पड़ेगा जो धीरे-धीरे हमारे इस समाज को घुन की तरह अन्दर से खोखला करके इसे पूर्णतः छिन्न-भिन्न कर देगा।

दो वीरों में महान वह है जो अपने शत्रु का भी आदर करता है

जीवन के तत्व ज्ञान-प्रकाश से सम्बन्धित प्रश्नोत्तर

कमला शंकर मिश्र

सहायक पर्यवेक्षक



प्रश्न 1. सबसे बड़ा दुःख कौन है?

उत्तर— संसार में दरिद्रता के समान कोई दुःख नहीं है।

प्रश्न 2. सबसे बड़ा सुख कौन है?

उत्तर— संतों से मिलने के समान कोई सुख नहीं है।

प्रश्न 3. संत का स्वभाव कैसा होता है?

उत्तर— दूसरों की भलाई करना संतों का स्वभाव है।

प्रश्न 4. संत-असंत में क्या अन्तर है?

उत्तर— संत उपकारी और असंत अपकारी होते हैं।

प्रश्न 5. सबसे भयंकर पाप कौन है?

उत्तर— परनिंदा को सबसे बड़ा पाप माना गया है।

मानस रोग के तत्व

1. मोह

2. क्रोध

3. काम

4. ममता

5. ईर्ष्या डाह

6. पर-संताप

7. दुष्टता या मन की कुटिलता

8. अहंकार

9. कपट

10. वृष्णा

चौपाई

जाने ते छीजहिं कछु पापी। नास न पावहिं जन परितापी॥

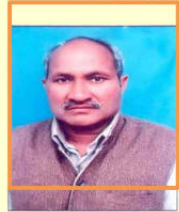
विषय कुपथ्य पाई अंकुरे। मुनिहु हृदयं का नर बापुरे॥

अर्थ—प्राणियों को जलाने वाले ये पापी (रोग) जान लिये जाने से कुछ क्षीण अवश्य हो जाते हैं, परन्तु नाश को नहीं प्राप्त होते। विषय रूपी कुपथ्य पाकर ये मुनियों के हृदय में अंकुरित हो उठते हैं, तब बेचारे साधारण मनुष्य क्या चीज है?

ज्ञान की बातें

कमला शंकर मिश्र

सहायक पर्यवेक्षक



1. प्राणी भले ही कितना सुन्दर क्यों न हो,

भले ही उसका जन्म बहुत बड़े घराने में हुआ हो,

परन्तु—

यदि वह पढ़ा-लिखा सभ्य नहीं है, तो उसकी हालत

वही होती है जो बिना गंध के फूल की, जैसे गंधहीन फूल

का कोई महत्व नहीं होता, वैसे ही ऐसे पुरुषों का कोई लाभ

नहीं होता, कोई स्थान नहीं होता।

2. कोयल का रंग काला होता है, मगर उसकी सुन्दरता तो

उसकी आवाज होती है, जो सबके मन को मोह लेती है।

—इसी प्रकार से एक स्त्री की सुन्दरता उसकी शक्ल नहीं

बल्कि उसका पति-प्यार और घरेलू व्यवहार से आंकी जाती है,

जो स्त्री अपने पति का मन जीत ले वही असली सुन्दरी होती है।

—बड़े लोगों का सौन्दर्य उनके गुणों से ही देखा जाता है,

बुद्धिमान, विद्वान, ज्ञानी पुरुष भले ही कितना काला, असुन्दर क्यों न हो,

उसे प्यार करना चाहिए, उसका आदर-सत्कार करना चाहिए।

Dedicated to Truth in Public Interest

उच्च शिक्षा बनाम कौशल अर्जन

विनय कुमार गुप्ता

कनिष्ठ हिंदी अनुवादक



नमस्कार, यह विषय आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज वह समय नहीं है कि हम अपने शिक्षा और रोजगार के अधिकार का हनन होते देखें। सभी अपने अधिकारों के बारे में जानकारी रखते हैं और जो नहीं रखते उनको समाज के प्रबुद्ध व्यक्तियों द्वारा अवगत कराया जाता है। शिक्षा वह शस्त्र है जो किसी भी परिस्थिति में आपको असफल नहीं होने देती। आप अपने लेखनी के बल पर समाज में नई चेतना उत्पन्न कर सकते हैं और समाज को एक नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। शिक्षा से केवल रोजगार ही प्राप्त नहीं करते हैं बल्कि सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक मामलों में अपना प्रमुख योगदान भी दे सकते हैं। आज के समय में प्रत्येक माता-पिता अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए अत्यधिक प्रयास कर रहे हैं क्योंकि एक बार बच्चा उच्च शिक्षा प्राप्त कर ले तो उनका भविष्य निर्धारित हो जाता है और किसी भी प्रकार का भटकाव उनके जीवन में नहीं रहता। ये अलग बात है कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद रोजगार की प्राथमिकताएं बदल जाती हैं जैसे कुछ लोग सरकारी नौकरी करने के पक्ष में होते हैं तो कुछ अपना स्वयं का व्यवसाय करते हैं और लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं।

शिक्षा के बाद अब हम दूसरे पहलू की तरफ आते हैं, और वह है कौशल अर्जन। समाज में बहुत विभिन्नताएं पाई जाती हैं जैसे समाज के विभिन्न वर्गों में आय की असमानता होने से लोगों के कार्य करने एवं जरूरतों को पूरा करने की प्राथमिकताएं अलग-अलग हो सकती हैं। कौशल अर्जन एक बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है एक बच्चे के आर्थिक विकास के लिए, क्योंकि वह शिक्षा के साथ-साथ किसी न किसी कौशल को सीखता है और अपने शिक्षा की अवधि के साथ ही वह रोजगार का प्रशिक्षण भी प्राप्त करता है। शिक्षा पूरी होने के बाद वह रोजगार करने में सक्षम हो जाता है और जीविका कमाने में भी। वह आत्मनिर्भर बन कर समाज को एक दिशा भी प्रदान कर सकता है। कौशल अर्जन करने के लिए सरकार को कौशल विकास केंद्र खोलने एवं उन्हें सुचारु रूप से क्रियाशील करने का प्रयत्न करना चाहिए क्योंकि यही बेरोजगारी को कम करने एवं रोजगार सृजन का एक बेहतर तरीका हो सकता है।

एक समाज में जहां एक परिवार अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा दिलाने में सक्षम है तो वहीं दूसरा परिवार हिंदी माध्यम से शिक्षा दिलाता है। यह अलग बात है कि भाषा केवल शिक्षा का एक माध्यम होता है न कि बच्चों की विशिष्टता का मानक। भाषायी भेद-भाव ने समाज में एक अंतर पैदा कर दिया है। जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों में एक असहजता की भावना उत्पन्न हो गई है। ऐसे कई परिवार अपने बच्चों को हिंदी माध्यम में शिक्षा दिलाने में संकोच करने लगे हैं जो थोड़ा भी खर्च उठाने में सक्षम हैं।

शिक्षा के साथ-साथ कौशल अर्जन एक मध्यम परिवार के लिए बहुत कारगर माध्यम हो सकता है। क्योंकि शिक्षा और रोजगार पर सभी का अधिकार है। केवल सरकारी नौकरी ही रोजगार नहीं होती और उसी को प्राप्त करने में सारी ऊर्जा नहीं लगानी चाहिए। ये अलग बात है कि उसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किये जाते हैं। सरकारी नौकरी रोजगार का एक माध्यम हो सकता है न कि यही एक माध्यम होना। देश में बहुत बड़ी शिक्षा प्रणाली है और प्रत्येक व्यक्ति अपनी-अपनी क्षमता के अनुसार शिक्षा प्राप्त करता है। एक मध्यम परिवार के लिए कौशल सृजन उसके आजीविका एवं शिक्षा दोनों का माध्यम बन सकता है। अमीर परिवार के बच्चों के लिए सभी प्रकार के शिक्षा के दरवाजे खुले होते हैं लेकिन क्या वे सभी उन संस्थानों का भरपूर उपयोग कर पाते हैं। क्या सभी अमीर घरों के बच्चे ही उच्च संस्थानों में प्रवेश पाते हैं। इसका उत्तर है नहीं। ये अलग बात है कि उनमें गरीब या मध्यम परिवारों के बच्चों की संख्या कम हो सकती है। प्रतिभा एक गरीब घर से भी निकल सकती है और उच्च पद पर आसीन हो सकती है।

प्रत्येक व्यक्ति के मन में एक बात सदैव चलती रहती है कि क्या शिक्षा अर्जन के बाद उसे रोजगार का मौका प्राप्त होगा या नहीं। ये उसके स्वयं की क्षमता या रूचि पर निर्भर करता है कि उसे किस प्रकार का रोजगार करना है। आज के समय में शिक्षा के साथ रोजगार का विचार भी बहुत शुरुआती समय में ही आ जाता है। क्योंकि जनसंख्या के बढ़ने से प्रतिस्पर्धा ज्यादा हो गई है। युवाओं में प्रतिस्पर्धा की भावना ने उनको जुझारू बना दिया है, लक्ष्य के प्रति केंद्रित कर दिया है। आजकल ये भी देखने को अकसर मिल जाता है कि युवाओं का एक बड़ा हिस्सा सरकारी नौकरी की तरफ ज्यादा रुझान रखता है क्योंकि उनका मानना है कि सरकारी नौकरी एक स्थायित्व प्रदान करती है एवं आरामदेह सेवा है। ये विचार अच्छा है कि युवाओं का यह रुझान है लेकिन क्या यह उनकी क्षमता के अनुरूप है? कई वर्ष सरकारी नौकरी को प्राप्त करने की होड़ में व्यर्थ हो जाते हैं, फिर वही कौशल जो कभी अर्जित की गई होगी, काम आती है। लोगों को अपने कौशल विकास के प्रति भी जागरूक होना चाहिए क्योंकि सरकारी नौकरी पाने की होड़ में कई बार वे बहुत समय नष्ट कर देते हैं। अपने कौशल विकास को महत्व देना बहुत आवश्यक है क्योंकि ये रोजगार का एक माध्यम हो सकता है और आजीविका कमाने एवं रोजगार सृजन का भी माध्यम हो सकता है। बढ़ती जनसंख्या के लिए रोजगार एक बहुत ज्वलनशील विषय है क्योंकि कोई भी सरकार बिना रोजगार सृजन के सत्ता में अधिक समय तक नहीं रह सकती और उसे जनता, युवाओं और विरोधियों का रोष झेलना पड़ सकता है।

इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि शिक्षा और कौशल दोनों का महत्व बच्चों को पारिवारिक परिदृश्य के अनुसार शुरुआती दिनों में ही समझाया जाए जिससे उन्हें अपने भविष्य के निर्माण में विवेकपूर्ण निर्णय लेने में समस्या न हो।

दाँत का दर्द

कुमार सौरभ

वरिष्ठ लेखा परीक्षक



मौसम कुछ सर्द था,
हमारे दाँत में दर्द था।

जब हमने डॉक्टर को दिखाया,
तो डॉक्टर साहब ने ठहाका लगाया।

हमारे मुँह में डॉक्टर ने औजार डाल दिया,
दर्द था ऊपर के दाँत में, नीचे का दाँत निकाल दिया।

हम अब भी दर्द से परेशान थे,
डॉक्टर साहब गुमसुम और हैरान थे।

उन्होंने एक बार फिर औजार सम्हाले,
हमारे दो-तीन दाँत और तोड़ डाले।

हमारा दर्द था कि बढ़ता ही जा रहा था,
और डॉक्टर साहब को गुस्सा आ रहा था।

उन्होंने एक इंजेक्शन पूरी तरह भर लिया,
और उसे लगाकर हमें बेहोश कर दिया।

जब होश आया तो हम लाचार और लज्जित थे,
हमारे इकतीस दाँत एक ट्रे में सुसज्जित थे।

हमारे मुँह में केवल एक दाँत बच रहा था,
और वो वही दाँत था जो दर्द कर रहा था।

तेरी यादें

शिवम् सिंह

आशुलिपिक



तेरा खूबसूरत सा चेहरा मुझे,
हर जगह-हर घड़ी याद आये मुझे।
जब नींद की गोद जाता हूँ मैं,
तेरी याद हरदम जगाये मुझे।।

तेरी आँखों में जो नशा है भरा,
इक बूँद मुझको पिला दे जरा।
उठी पलकें तेरी जगाती रहें,
तेरी बन्द पलकें सुलाये मुझे।।

तेरा खूबसूरत सा चेहरा मुझे,
हर जगह-हर घड़ी याद आये मुझे।
लहरों सी उड़ती हैं जुल्फें तेरी,
कारी घटा सी हैं फैली हुई।
तेरी भीगी जुल्फें मेरे हमसफर,
बारिशों की तरह है भिगाये मुझे।।

आईना जो तुम्हें देख लेता अगर,
देखता ही रहे ना झुकाये नजर।
अगर जीत भी लूँ तुम्हें सनम,
फिर भी ऐसा लगे तू हराये मुझे।।
तेरा खूबसूरत सा चेहरा मुझे,
हर जगह-हर घड़ी याद आये मुझे।

यूँ ही चले आना तुम...

शिवम् सिंह

आशुलिपिक



अगर वक्त हो तो यूँ ही चले आना,

दो पल बैठ मुस्कराना।

सारे गिले-शिकवे मुझसे कहना तुम,

इस बार चुप मत रहना तुम।

जो नज़्म तुम गुनगुनाती थी,

उसे गीत में पिरो जाना।

अगर वक्त हो तो यूँ ही चले आना

अगर वक्त हो तो यूँ ही चले आना

चुन-चुन कर लम्हों के मोती,

एक नया खूबाब सजाना।

पलकों में बादलों को बंद कर,

अदृश्य शून्य से आकाश में, UNION OF INDIA

एक मौन काली रात में। संयुक्त

Dedicated to Youth in Public Interest

कुछ तारे मैं लाऊंगा,

एक चाँद तुम लाना।

सपनों की नई दुनिया बसाना।

अगर वक्त हो तो यूँ ही चले आना।

बयां ए लफ़्ज

अमित कुमार

वरिष्ठ लेखापरीक्षक/प्रशिक्षण



1.

बे-हिसाब झेली हैं इस जिंदगी में दुश्वारियां हमने।
मैं हुआ हर बार खतावार उसका जो करी गलतियाँ तुमने।

इक बार भी कोशिश न की तुमने मेरे दिल में झांकने की,
और तेरे इश्क में लुटा दी न जाने कितनी जिंदगानियाँ हमने।
सीने से लगाए बैठा हूँ सारे वो गम जो मुझको दिए तूने,
औरों के लिए गुनाह है, मेरी नजर में की हैं नादानियाँ तुमने।
हम कल भी तेरे थे आज भी तेरे हैं मगर फासला है कि,
कभी बेफिक्र थे अब समेट ली हजारों बेचैनियाँ हमने।
ये 'खामोश' इश्क का समुन्दर और मेरे दिल की दुआ,
डूब जाए हर कोई वहां तक जो देखी हैं गहराईयाँ हमने।

2.

बिछड़ कर हुए हम दूर जरूर फिर भी तू मेरे पास है।
किया हर वक्त ये एहसास कि तू मेरे आस पास है।
कोई खुशी ही नसीब न हुई मुझे जब तू ही न मिली मुझे,
दिल में बहुत शोर है मेरे अफसोस सब बे-आवाज है।
मुद्दतें गुजर गईं कभी मिले थे उस शख्स से,
जो हर रोज आता जाता मेरे आईने के पास है।
दो पल सक्लू पाने के लिए क्या-क्या न किया हमने,
सब कुछ तो गिरवी पड़ा है मेरा तेरे पास है।
ये वीरान 'खामोश' जिन्दगी किस काम आएगी भला,
लुटाते जा रहे इश्क में हर इक वो सांस जो तेरे

साइलेंट किलर

अर्चना प्रसाद

सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी



तुम्हें कुछ कहना है?

ये प्रश्न है?

परमिशन है?

या दिल टटोलने की कोशिश?

तुम्हें कुछ कहना है?

कई मायने समेटे हुए है ये एक वाक्य

क्या है मतलब इस एक वाक्य,

इस एक प्रश्न का?

छुटपन में छोटी छोटी गलतियों पर धमकाना,

बढ़ती उम्र के करियर के डीसीजन लेना,

युवा होते जीवन के बड़े बड़े निर्णय लेना,

क्या है ये प्रश्न?

ज़िंदगी को उलट पुलट कर रख देता है

ये एक प्रश्न और इसका अनकहा उत्तर।

हाँ, मुझे कुछ कहना है, THE INSTITUTE OF INDIA

क्या? तुम्हें कुछ कहना है? तुम्हें समझना है

हाँ, मुझे कुछ कहना है। In Truth Is Public Interest

मुझे बतानी है अपनी भावनाएं,

मुझे समझाना है अपना डर,

मुझे दिखानी है अपनी पीड़ा,

मुझे उतारना है अपना गुस्सा।

क्या? क्या कहा तुमने?

डर? पीड़ा? गुस्सा? भावनाएं?
 इस लैविश लाइफस्टाइल में
 कैसा डर, कैसी पीड़ा, कैसा गुस्सा?
 और क्या कहा था तुमने, भावनाएं?
 कैसी भावनाएं?
 ये क्या होती हैं?
 खोखला आदर्शवाद?
 निखट्टू, बैठे-ठाले लोगों का रुदाली रुदन?
 तुम बहुत सुखी हो,
 तुम बहुत भाग्यशाली हो,
 तुम्हारी ज़िंदगी में क्या कमी है?
 जरा बताओ तो? बोलो तो?
 ...अंतराल...बड़े अंतराल, छोटे अंतराल, वर्षों के अंतराल.....
 तुम्हें कुछ कहना है?
 चुप्पी..... गहरी चुप्पी...
 बोलो? तुम्हें कुछ कहना है?
चुप्पी
 दोस्तों,
 सिगरेट, शराब, गुटका, ड्रग्स, टी.बी., कैंसर, कोरोना,
 ये नहीं हैं साइलेंट किलर्स,
 तुम्हें कुछ कहना है?
 ये प्रश्न और इस प्रश्न के पीछे का इतिहास,
 ये हैं साइलेंट किलर।

कठिनाइयों की अकड़

सुधानंदन अंकित

भ्राता श्री काशी कुमार/डी ई ओ



तू ठहरा, तू थमा, तू फंसा, तू रूका, वक्त लेती अंगड़ाई, पल-पल बदल रहे हालात।।

तू ने लिया था प्रण, बदलती किस्मत को तू अपनी मंजिल बनाएगा।

अब उठ तू करेगा, तू लड़ेगा विचारों पे अडिग रह मुस्कुराएगा।

हा तू है, तू ही है।

तू ठहरा रहा तेरा जमीर पुकारता, सच का दामन थामे हिम्मत दिखा रहा।।

ना हार माना कभी, ना झुका है तूँ, ना रुका कभी, ना गिरा है तूँ, ना थमा कभी

वक्त की करवटों को सहजता और संभालता। अपनी आंसुओं को रोके चट्टान सा खड़ा रहा है तूँ।।

है तू है तू ही है।

तू अडिग है ये ठान ले तू विजयी है ये मान ले तू रुका नहीं ये विश्वास रख,

तू करेगा, तू लड़ेगा, तू भिड़ेगा, बस तय कर वो तू है,

होसलों को साथ रख। वक्त की दीवार फांद, तू जीत जाएगा।

रख हौसला, तू ने लिया है प्रण, खुद पर यकीन और विश्वास रख।।

है तू है तू ही है।।

SUPREME ACADEMY OF INDIAN

सर्वोच्च शिक्षा संस्थान

Dedicated to Truth in Public Interest

समाज में महिलाओं की स्थिति व आतंकवाद का प्रभाव

शाहिल पथिक

लेखापरीक्षक



भारतवर्ष जैसे सांस्कृतिक प्रचुर राष्ट्र का नागरिक हो कर महिलाओं की सामाजिक स्थिति के विषय में विवेचना करना शायद पक्षपात पूर्ण हो सकता है। हम भारत के ऐतिहासिक संस्कृति शिखरता के साक्षी रह चुके हैं। एक ऐसे समाज के साक्षी जहां गार्मी, मैत्रेयी, विश्वम्भरा और अपाला, घोषा, लोपासुद्रा, सकता, और निवावरी जैसी विदुषी महिलाएं पुरुषों से ज्यादा ज्ञानी थी। विश्व के कई राष्ट्र शायद इस मत का खंडन करेंगे क्योंकि वैदिक काल की इन महान विदुषियों की स्थिति से वर्तमान की महिलाओं की स्थिति एक बुरे सपने सा प्रतीत होता है। वैदिक काल में समान अधिकार रखने वाली महिलाएं वर्तमान में विश्व के कई देशों में मौलिक अधिकारों से भी विहीन हैं। यज्ञ में आहुति देने के अधिकार से जौहर हो जाने तक की यात्रा महिलाओं के सामाजिक पतन को दर्शाती है।

स्त्रियाँ जो अब समाज की सबसे प्रताड़ित वर्ग का नेतृत्व करती हैं उनपर आतंकवाद का भी सबसे बुरा व गहरा असर पड़ रहा है। विश्व में जहां भी आतंकवाद पाँव पसारता है सबसे पहले महिलाओं व बच्चों को अपनी जद में लेता है। इसके उदाहरण बहुतेरे हैं। पुरुष जब भी अपने अधिकारों के प्रति भयभीत होता है तो महिलाओं पर प्रताड़ना बढ़ जाती है।

सबसे ज्यादा आतंकवाद से प्रभावित मध्य एशिया, दक्षिण अमेरिका, ईरान, अफगानिस्तान व पाकिस्तान जैसे देश हैं। वहाँ की स्त्रियों का सामाजिक संघर्ष व जीवन हम सबकी आँखों के सामने है।

समान्यतः उपनिवेशवादी व पूँजीवादी समाज में स्त्रियों की स्थिति दयनीय थी वो क्रय-विक्रय की वस्तु के साथ साथ दान व शोषण की वस्तु बना दी गयी थी। युद्ध व आतंकवाद महिलाओं को और भी पीड़ित बनाता है।

भारत में भी कालांतर में सती प्रथा, विधवाओं की दयनीय स्थिति, स्त्री शिक्षा पर रोक, कन्या भ्रूण हत्या का प्रचलन देखने को मिला। पुरुष जब अपनी रक्षा करने में असमर्थ होने लगा तब उसकी हिंसा का शिकार स्त्रियाँ होने लगी। भारत एक ऐसा समाज है जहां स्त्रियों ने आक्रांताओं के आतातायीपन से परेशान हो कर जौहर जैसे कदम उठाए। स्त्री युद्ध में शामिल न हो कर भी युद्ध की विभीषिका की सबसे बड़ी पीड़िता थी। युद्ध के उपरांत शांतिकाल में स्त्रियाँ ने दिखा दिया कि वो युद्ध में जौहर भी कर सकती हैं और समय आने पर लक्ष्मी बाई जैसी विरांगना भी बन सकती हैं।

विश्व के सबसे बड़े युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध व उसके पहले यूरोप के होलोकॉस्ट को याद करें तो हमें अन्ना फ्रैंक याद आती है। उसकी कहानी हृदय विदारक थी उसकी मृत्यु भी अत्याचार की सभी सीमा से परे थी।

इराक व सीरिया में जब आई.एस.आई.एस. का उदय हुआ तो पूरी दुनिया भर से स्त्रियों, युवतियों का अपहरण हुआ। इसका उदाहरण हमें आई.एस.आई.एस. की दुल्हनों कहीं जाने वाली स्त्रियों के स्वरूप मिलता है। बांग्लादेश मूल की ब्रिटिश नागरिक शमिया बेगम जो कि आई.एस.आई.एस की दुल्हन का सबसे क़रूप उदाहरण है। उस स्त्री का पति, बच्चे सब अमेरिका के हवाई हमले में मारे गए। अब ना तो बांग्लादेश और ना ही ब्रिटेन उसे अपनाने को तैयार है। बोको हरम जो कि अफ्रीका में बेहद सक्रिय है स्कूल की बच्चियों को जबरन उठा ले जाने व निकाह कर बच्चे पैदा करने के लिए कुख्यात है।

पुरुष के द्वारा महिलाओं पर अपना अधिकार स्थापित करने के अनेकों उदाहरण समाज में उपस्थित हैं। जहाँ भी आतंकवाद पैर पसारता है महिलाओं के अधिकारों पर रोक लग जाती है है। ईरान में देखा गया है महिलाओं को धर्म के नाम पर हिजाब में कैद कर दिया जाता है, व्यभिचार की सजा भी सिर्फ महिलाओं को मिलती है।

हिजाब ना पहनने के विरोध में ना जाने कितनी जानें चली गयी। धर्म को मानना उचित है किन्तु उसे थोपना अनुचित। अफगानिस्तान में तालिबानियों के कब्जे के बाद उनके द्वारा सबसे पहले महिलाओं की शिक्षा पर रोक लगाई गयी, स्कूल इत्यादि को बंद कर दिया गया। महिला क्रिकेट टीम को भी स्थगित कर दिया गया। महिलाओं के स्कूल चला रहे लोगों की हत्या कर दी गयी। पाकिस्तान की खैबर पख़ून की मलाला युसुफजई को सिर्फ इसलिए गोलियां मारी गयी क्योंकि वह स्कूल जाना चाहती थी। भारी विडम्बना तो यह है कि वही मलाला युसुफजई उसी पाकिस्तान की हिमायत व तरफदारी करती है जिसने उसे स्कूल जाने से रोका और गोली मारी। डर व अन्याय के प्रति स्वीकार्यता इतनी बढ़ गयी है कि कोई उसका विरोध भी नहीं करना चाहता है।

ये दुनिया भी इन समस्याओं को देखकर मुंह मोड़ लेती है। रूस-यूक्रेन युद्ध में भी 'बुचा' शहर में फंसी सेना ने महिलाओं के साथ गैंग रेप तक किया और जान से मार दिया। कश्मीर में भी आतंकवाद की पीड़िता ज्यादातर महिलाएं ही थी उनमें से भी मुख्यतः वह महिलाएं थी जो विशेष धर्म की थी तथा शिक्षित थी। महिलाएं शायद एक आसान लक्ष्य हैं जिसका शोषण आसान होता है और महिलाएं की आज़ादी व समृद्धि इस बात की समानुपातिक है कि उस समाज में एकता, शांति व खुशहाली कितनी है। ये उचित ही कहा गया है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः॥ (मनुस्मृति 3/56)।

विश्व को यह बात शायद बहुत देर में समझ में आयी कि महिलाओं को भी समाज में उचित स्थान देना मौलिक धर्म है। यूरोप में जब महिलाओं को घर से बाहर जाने की आज़ादी मिली काम करने की आज़ादी मिली तब जा कर पुरुष युद्ध में जा पाये। मजबूरी में ही सही किन्तु महिलाओं को उनका कुछ स्थान तो समाज में मिला। हमे अपने स्वर्णिम वैदिक काल को पुनः स्थापित करना होगा जहाँ स्त्रियाँ योद्धा, विदुषिका होती थी। समाज को अग्रणी बनाने में अपना पूर्ण योगदान करती थी। शायद समय आ गया है जब पुरुष अपने द्वारा की गयी त्रुटियों को सुधारे और सम्प्र समाज के निर्माण में महिलाओं की महत्ता को समझे।

परोपकार

किरण लता

हिंदी अधिकारी



परोपकारी व्यक्ति एक सहृदय स्वभाव का व्यक्ति होता है। इसका दिल बड़ा ही कोमल होता है। परोपकारी व्यक्ति सदैव दूसरों की भलाई की कामना करता है और दूसरों के हित के बारे में सोचा करता है। वह जहां कहीं भी, किसी भी दुखी व्यक्ति को देखता है या किसी जरूरतमंद को देखता है तो उसकी सहायता को तत्पर हो जाता है। वो दूसरों की सहायता में ही अपने जीवन की सार्थकता समझता है। बहुत से परोपकारी व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। जोकि अक्सर धर्म-कर्म की दृष्टि से भी परोपकार के कार्य करते हैं। धर्म और परोपकार का गहरा संबंध है और हर धर्म परोपकार की शिक्षा देता है। इसी कारण धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों की सोच होती है कि परोपकार करने से पुण्य की प्राप्ति होगी।

ये आवश्यक नहीं कि परोपकार केवल धर्म के नजरिए से किया जाए। बहुत से व्यक्ति बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के ना होकर भी परोपकार का कार्य करने से जरा भी नहीं चूकते। इसलिए परोपकार के लिए धार्मिक होना आवश्यक नहीं। लेकिन परोपकार के लिये संवेदशील होना आवश्यक है, दयालु होना आवश्यक है, कोमल दिल वाला होना आवश्यक है। ऐसे गुणों से युक्त व्यक्ति ही परोपकारी बन सकता है।

कहने में हर कोई कह देता है कि, जरूरत पड़ने पर वह किसी की मदद अवश्य ही करेगा परंतु ऐसे सच्चे व्यक्ति बहुत ही कम इस पृथ्वी पर मौजूद हैं जो कि सच में जरूरत के समय हमारी मदद करते हैं। इन व्यक्तियों को ढूँढना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि परोपकार का गुण हर किसी के पास नहीं होता है।

एक परोपकारी व्यक्ति के दिल में भले ही कई दुख एक साथ उफान पर हों, परंतु बाहर से वह दूसरों के लिए खुश रहता है और उनकी मदद भी करता है। निःस्वार्थ भाव से परोपकार करना हर किसी की बात नहीं है। इसमें बड़े-बड़े त्याग और कुर्बानी करनी पड़ती है। परोपकार जैसी दुर्लभ गुण इंसानियत की एक मौलिक नींव है।

परोपकार एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ शायद ही कोई न जानता हो, यह एक ऐसी भावना है जिसका विकास बचपन से ही किया जाना चाहिए। हम सबने कभी न कभी किसी की मदद जरूर की होगी और उसके बाद हमें बड़ा की गर्व का अनुभव हुआ होगा, बस इसी को परोपकार कहते हैं। परोपकार के कई रूप हैं, चाहे यह आप किसी मनुष्य के लिये करें या किसी जीव के लिये।

आज कल के समय की आवश्यकता

आज-कल लोग अधिक व्यस्त रहने लगे हैं और उनके पास अपने लिये समय नहीं होता ऐसे में वे दूसरों की मदद कैसे कर पाएंगे। ऐसे में यह आवश्यक है कि परोपकार को अपनी आदत बना लें इससे आप खुद तो लाभान्वित होंगे ही अपितु आप दूसरों को भी करेंगे। राह चलते किसी बुजुर्ग की मदद कर दें तो कभी किसी दिव्यांग को कंधा दे दें।

यकीन मानिए कर के अच्छा लगता है, जब इसके लिये अलग से समय निकालने की बात की जाये तो शायद यह कठिन लगे। आज कल के दौर में लोग दूसरों से सहायता लेने से अच्छा अपने फोन से ही सारा काम कर लेते हैं परन्तु उनका क्या जिनके पास या तो फोन नहीं है और है भी तो चलाना नहीं आता। इसी लिये परोपकारी बनें और सबकी यथा संभव मदद अवश्य करें।

मानवता का दूसरा नाम

परोपकार की बातें हमारे धर्म ग्रंथों में भी लिखी हुई हैं और यही मानवता का असली अर्थ है। दुनिया में भगवान किसी को गरीब तो किसी को अमीर क्यों बनाते हैं? वो इसलिये ताकि जिसके पास धन है, वो निर्धन की मदद करे। और शायद इसी वजह से वे आपको धन देते भी हैं, ताकि आपकी परीक्षा ले सकें। जरूरी नहीं कि यह केवल धन हो, कई बार आपके पास दूसरों की अपेक्षा अधिक बल होता है तो कभी अधिक बुद्धि। किसी भी प्रकार से दूसरों की मदद करने को परोपकार कहते हैं और यही असल मायनों में मानव जीवन का उद्देश्य होता है। हम सब इस धरती पर शायद एक दुसरे की मदद करने ही आये हैं। कई बार हमारे सामने सड़क दुर्घटनाएं हो जाती हैं और ऐसे में मानवता के नाते हमें उस व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को सबकी निस्वार्थ मदद करनी चाहिए और फल की चिंता न करते हुए अपना कर्म करते रहना चाहिए।

निष्कर्ष

परोपकार से बढ़ के कुछ नहीं है और हमे दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए की वे बढ़-चढ़ कर दूसरों की मदद करें। आप चाहें तो अनाथ आश्रम जा के वहां के बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं या अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा गरीबों में बाँट सकते हैं। परोपकार अथाह होता है और इसका कोई अंत नहीं है इस लिये यह न सोचें की केवल पैसे से ही आप किसी की मदद कर सकते हैं। बच्चों में शुरू से यह आदत विकसित करनी चाहिए। बच्चों को विनम्र बनायें जिससे परोपकार की भावना स्वतः उनमें आये। एक विनम्र व्यक्ति अपने जीवन में बहुत आगे जाता है और मानवता को समाज में जीवित रखता है।

जीवन में मित्रता का महत्व

किरण लता

हिंदी अधिकारी



“एकाकी बादल रो देते, एकाकी रवि जलते रहते।”

वास्तव में जीवन में अकेलापन विधाता का एक अभिशाप है। इस अभिशाप से विवश होकर मनुष्य कभी-कभी आत्महत्या तक करने को उतारू हो जाता है।

सामाजिक प्राणी होने के नाते वह समाज में रहना चाहता है, भावनाओं का आदान-प्रदान करना चाहता है, अपने सुख-दुःख का साथी बनाना चाहता है। परिवार में सभी सम्बन्धी होने पर भी उसे एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है, जिससे दिल खोलकर वह सब बातें कर सके। परिवार के सदस्यों की भी कुछ सीमायें होती हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं, जो केवल पिताजी से कही जा सकती हैं, कुछ ऐसी होती हैं, जिन्हें केवल माता जी से ही कह सकते हैं, कुछ बातें भाई-बहनों को भी बताई जाती हैं, कुछ बातों में पत्नी से परामर्श लिया जाता है, और कुछ बातों में घर के अन्य वयोवृद्ध सदस्यों से। परन्तु वे आदर्श मित्र सभी बातें चाहे अच्छी हों या बुरी, गुण की हो या अवगुण की, हित की हों या अहित की, कल्याण की हों या विनाश की, उत्थान की हों या पतन की, उत्कर्ष की हों या अपकर्ष की, यदि किसी से जी खोलकर कही जा सकती हैं तो केवल मित्र से। मित्र के अभाव में मनुष्य कुछ खोया खोया सा अनुभव करता है, किससे अपने सुख-दुःख की कहे, किसके सामने वह अपने हृदय की गठरी को खोले? अपने मनोविनोद और हास-परिहास के समय को वह किसके साथ बिताए विपत्ति के समय वह किसकी सहायता ले, सत्परामर्श ले और सहानुभूति प्राप्त करे? अपनी रक्षा का भार वह किसे सौंपे? क्योंकि मित्र की रक्षा, उन्नति, उत्थान सभी कुछ एक सच्चे मित्र का दायित्व होते हैं।

“कराविव शरीरस्य नेत्रयोरिव पक्षमणि।

अविचार्य प्रियं कुर्यात् तन्मित्रं मित्रमुच्यते॥”

अर्थात् जिस प्रकार मनुष्य के दोनों हाथ शरीर की अनवरत रक्षा करते हैं, उन्हें कहने की आवश्यकता नहीं होती और न कभी शरीर ही कहता है कि जब मैं पृथ्वी पर गिरूँ तब तुम आगे आ जाना और बचा लेना; परन्तु वे एक सच्चे मित्र की भाँति सदैव शरीर की रक्षा में संलग्न रहते हैं। इसी प्रकार आप पलकों को भी देखिए, नेत्रों में एक भी धूल का कण चला जाए, पलकें तुरन्त बन्द हो जाती हैं।

हर विपत्ति से अपने नेत्रों को बचाती हैं। इसी प्रकार एक सच्चा मित्र भी बिना कुछ कहे-सुने मित्र का सदैव हित-चिन्तन किया करता है।

मित्र के कर्तव्य

मित्र के अनेक कर्तव्य होते हैं जिनमें से केवल कुछ प्रमुख कर्तव्यों पर नीचे विचार किया जायेगा।

सन्मार्ग पर चलना

एक सच्चा मित्र सदैव अपने साथी को सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। वह कभी नहीं देख सकता कि उसकी आँखों के सामने ही उसके मित्र का घर बर्बाद होता रहे, उसका साथी पतन के पथ पर अग्रसर होता रहे, कुवासनायें और दुर्व्यसन उसे अपना शिकार बनाते रहें, कुरीतियाँ उसका शोषण करती रहें, कुविचार उसे कुमार्गगामी बनाते रहे।

वह उसे समझा-बुझाकर, लाड़ से, प्यार से और फिर, प्यार से और मार से किसी-न-किसी तरह उसे उस मार्ग को छोड़ने के लिये विवश कर देगा।

तुलसीदास ने मित्र की जहाँ और पहचान बताई है वहाँ एक यह भी है—

“कुपथ निवारि सुपन्थ चलावा।

गुण प्रगटहि अवगुणहि दुरावा॥”

तात्पर्य यह है कि यदि हम झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, धोखा देते हैं या हममें इसी प्रकार की और बुरी आदतें हैं, तो एक श्रेष्ठ मित्र का कर्तव्य है कि वह हमें सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे, हमें अपने दोषों के प्रति जागरूक कर दे तथा उनको दूर करने का निरन्तर प्रयास करता रहे।

स्वार्थी मित्र सदैव विश्वासघात करता है, उसकी मित्रता सदैव पुष्प और भ्रमर जैसी होती है। भंवरा जिस तरह रस रहते हुये फूल का साथी बना रहता है और इसके अभाव में उसकी ओर देखता तक नहीं।

इसी प्रकार स्वार्थी मित्र भी विपत्ति के क्षणों में मित्र का सहायक सिद्ध नहीं होता। इसलिये तुलसीदास जी ने अच्छे मित्र की कसौटी विपत्ति ही बताई है—

“धीरज धर्म मित्र अरु नारी। आपत्ति काल परख यहि चारी।

जे न मित्र दुःख होंहि दुःखारी। तिनहिं विलोकत पातक भारी॥”

अंग्रेजी में कहा गया है *"A friend in need is a friend indeed."* संस्कृत में कहा गया है कि *“आपदगतं च न जहाति ददाति कालं”* अर्थात् विपत्ति के समय सच्चा मित्र साथ नहीं छोड़ता, अपितु सहायता के रूप में कुछ देता ही है।

जिस प्रकार स्वर्ण की परीक्षा सर्वप्रथम कसौटी पर घिसने से होती है, उसी प्रकार मित्र की विपत्ति के समय त्याग से होती है।

इतिहास साक्षी है कि ऐसे मित्र हुये हैं, जिन्होंने अपने मित्र की रक्षा में अपने प्राणों की भी आहुति दे दी। जीवन का कोई भी क्षेत्र हो कोई भी कार्य या व्यापार हो, किसी भी प्रकार की सम या विषम परिस्थिति हो, मित्र को अपने मित्र के साथ सहानुभूति रखनी चाहिये और उसके साथ सहयोग भी बनाये रखना चाहिये।

भले ही मित्र न कुछ दे और न ले, परन्तु सहानुभूति एक ऐसी वस्तु है, जिससे मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिन परिस्थितियों को भी हँसते हँसते झेल लेता है, विपत्तियों में भी मुस्कुरा देता है।

सहानुभूति और संवेदना के अभाव में मानव का जीवन एक नैराश्यपूर्ण नारकीय जीवन बन जाता है, और जीवन भार मालूम पड़ने लगता है। गुप्त जी ने लिखा है—

“सहानुभूति चाहिए महा विभूति है यही॥”

आज के अधिकांश मित्रों को मित्र कहने की अपेक्षा यदि शत्रु कहा जाये तो अधिक उचित होगा।

साधारणतः आज का मित्र स्वार्थी है, वह आपके सामने मीठा बना रहकर आपका जितना भी अहित चिन्तन कर सकता है, करता है।

जब तक उसकी स्वार्थ सिद्धि, उसकी वासनाओं की शान्ति, उसकी तृष्णा की पूर्ति, आपके द्वारा होती है, तब तक वह आपके साथ आपका सहयोगी है, आपसे सहानुभूति रखता है, आपका प्रशंसक है और जहाँ उसको स्वार्थपूर्ति हुई या उस पूर्ति में, कोई विघ्न दिखाई पड़ा, वह आपके पास फटकता भी नहीं।

ऐसे मित्रों को यदि “चापलूस शत्रु” की संज्ञा दी जाये, तो कहीं अच्छा होगा। ऐसे भी प्रमाण हैं कि आज तक यदि किसी वीर की मृत्यु हुई या वह बन्धन में फँसा, तो वह मित्र के ही द्वारा। बड़े-बड़े क्रान्तिकारी विदेशियों को पकड़ में आये, परन्तु केवल अपने मित्रों की कृपा के फलस्वरूप हो।

उर्दू का एक शेर है, जो इसी प्रसंग पर प्रकाश डालता है—

“खाके जो तीर देखा कमीगाह की तरफ।

अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई।”

कमीगाह उस स्थान को कहते हैं, जहाँ से छुपकर तीर चलाया जाता है। पीछे से किसी ने तीर चलाया, पीठ में आकर लगा भी, दर्द हुआ, पीछे मुड़कर कमीगाह की तरफ जब देखा, तो वहाँ कोई अपना ही दोस्त बैठा हुआ यह तीरंदाजी करते दिखाई पड़ा। आज के मित्रों का चित्रण इस उर्दू के शेर से अधिक और क्या हो सकता है। कृष्ण और सुदामा की मित्रता का उदाहरण आज के युग में देखना एक कल्पना मात्र है।

आज तो ऐसे मित्र हैं कि मुख पर कहेंगे कि आप अच्छे आदमी हैं, आप जैसे मित्र को पाकर मैं सौभाग्यशाली हूँ और जहाँ पीठ मुड़ी और कोई दूसरा मिला तो कहने लगे, देखो—एक नम्बर बदमाश है, पचासों बदमाशियाँ तो इसकी मेरी डायरी में नोट हो रही हैं, आने दो कभी मौका, ऐसे हाथ लगाऊँगा कि याद रहे। इसलिये संस्कृत में एक विद्वान् ने लिखा है

“परीक्षे कार्यहन्तारं, सन्मुखे प्रियवादिनम्।

सुप्रेमं व्रज्येत् तादृशं मित्रं, विषकुम्भं पयोमुखम्॥”

अर्थात् जो सामने मीठा बोलता है और पीछे काम बिगाड़ता है, ऐसे मित्र को छोड़ देना चाहिये।

वह मित्र इस प्रकार है, जैसे विष से भरा हुआ घड़ा हो और उस घड़े के मुख पर दूध लगा दिया गया हो। गोस्वामी जी के शब्दों में—“विषरस भरा कनक घट जैसे।”

मित्र को सहानुभूतिपूर्ण, संवेदनशील और सहनशील होना चाहिये। यदि दो मित्रों में सहनशीलता नहीं है, तो मित्रता अधिक समय तक नहीं चल सकती। सच्ची मित्रता वास्तव में दुर्लभ है और जिसको यह मिल जाए उसका जीवन सफल है बशर्ते कि यह दोनों तरफ से ईमानदारी से निभाई जाए।

मेरी प्यारी माँ

कीर्ति मेहरा

आशुलिपिक



वह कहती मुझको राजकुमारी,
जग में मुझको सबसे प्यारी।
खूब सारा वो लाड-लड़ाती,

सही-गलत मुझको समझाती।
बातें दिल की सुने वो सारी,
माँ है मेरी सबसे प्यारी।।



जब कभी ये दिल धबराए,
उसके सिवा ना कुछ भी भाए।
उसकी इक मुस्कान से हारी,
जग भर की खुशियाँ सारी।
माँ है मेरी सबसे प्यारी।।

सब कहते मुझको उसकी परछाई,
बिन बोले समझे मन की गहराई।
अपने प्यार से है वो सींचे घर को,
मान के जैसे इक फुलवारी।
माँ है मेरी सबसे प्यारी।।

मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी

(अंजान शहर-इक पहेली)

कीर्ति मेहरा

आशुलिपिक



अंजान शहर में इक लड़की अकेली,
सामने उसके थी बड़ी पहेली।
ना थी उसकी कोई सहेली,
फिर भी डरी नहीं वो चली अकेली॥

लोग नए थे, था नया माहौल,
सोचती काश होता कोई पेन-पॉल।
अचानक मातारानी ने उसकी सुन ली,
उसके लिए दो सहेलियाँ चुन ली॥

सहेली नहीं वो अपनी बन गई,
उन तीनों की तिकड़ी बन गई।
सुख दुःख की साथी बन गई,
जैसे तीनों बहनें बन गई॥

तीनों मिल के करती धमाल,
लड़की अकेली हुई खुशहाल।
नए शहर में ना हुआ बवाल,
सहेलियाँ बन गई एक मिसाल॥

अंजान शहर ना रहा पराया,
वहाँ प्यार उसने खूब कमाया।
फिर ना थी सामने कोई पहेली,
संग थीं उसके सच्ची सहेली॥



दृष्टिकोण

पुष्पा मिश्रा

स.ले.प. अधिकारी



महानगरीय जीवन की चकाचौंध से इतर वहाँ की वास्तविकता है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ ही इंसान भी यन्त्रचालित जैसे हो गए हैं। बहुत बड़ी नामी सोसाइटी है ये मुंबई की, मध्यम, उच्च मध्यम वर्ग, उच्च अभिजात्य वर्ग का मिला-जुला संगम है। यहाँ सबके ग्रुप हैं, मुझे कभी समय ही नहीं था किसी ग्रुप में जुड़ने का, क्योंकि परिवार के साथ नौकरी भी थी अब फुर्सत ही फुर्सत, विगत तीन माह पहले ही सेवानिवृत्त हुई हूँ, कुछ कुछ चेहरे रोज दिख रहे हैं, वो अक्सर मुझको लिफ्ट के पास मिल जाया करती है। हमेशा हड़बड़ी में रहती है, कभी बच्चे को स्कूल कैब में भेजने की जल्दी, कभी प्रेस वाले पर झुंझलाती सी और ऑफिस जाने की जल्दी में भागती हुई मिल जाती है। एक मुस्कान से मेरा और उसका नाता जुड़ा है, मुझे लगता है कि वो मेरे ही ब्लाक में रहती है, 20 फ्लोर का ब्लाक है, अक्सर लिफ्ट में आते-जाते दिख जाती है। शहर की प्राइम लोकेशन में यह सोसाइटी है। इतनी बड़ी सोसाइटी में हर कोई एक-दुसरे को जाने यह हो ही नहीं सकता और यंत्रचालित उपकरण की तरह सब लोग भागते रहते हैं। कभी-कभी बहुत परिचय की जरूरत होती भी नहीं, अजनबी से लोग भी अपने लगते हैं यदि आँखों में अपनापन हो और बोलती सी मुस्कराहट हो, फिर इतने बड़े शहर में जहाँ सभी भाग रहे हैं किसके पास समय है किसी के लिए रुकने का! फिर भी मुझे देख कर उसका मुस्कराना एक खुशनुमा अनुभूति देता है। कभी सोचती हूँ कि उसको कहीं कि तुम हमेशा जल्दी में क्यों रहती हो फिर सोचती हूँ कि न जाने वो क्या समझे कि ये फालतू ही मेरे गले पड़ रही।

सोसाइटी के पार्क में इवनिंग वाक का नियम बनाया है, क्या करूँ टाइम भी तो काटना है, सीनियर सिटीजन हूँ न। वैसे भी कहते हैं न कि चलने फिरने से घुटने सही रहते हैं। टीचर की पोस्ट से रिटायर हुई हूँ, हमेशा संवाद की आदत रही। सेवानिवृत्ति के बाद यदि दिन को योजनाबद्ध नहीं किया जाये तो ऐसा लगता है जैसे निरर्थक ही पूरा दिन गया। सुबह जब इन भागती-दौड़ती स्त्रियों को देखती हूँ, मन वापिस समय के साथ उड़ता सा है। पार्क में स्त्रियों का एक समूह योग करता दिख जाता है, जो फिटनेस के साथ ही अपने लिए कुछ समय तलाश करती हैं जिसमे सिर्फ वो ही हों, दूसरी और टीनएजर लड़कियों का समूह जॉगिंग करता नजर आता है, बच्चे भी खेलते-दौड़ते मस्त बेपरवाह से रहते हैं, सही है यही उम्र, न कोई चिंता, न फिक्र सिर्फ खेलना और मस्त रहना, जब स्कूल का बोझ आग्या तभी मासूम सा बचपन जिम्मेदारी की राह में बड़ जायेगा। जीवन के सभी रंगों

से वाकिफ कराता है ये पार्क। दस बजे ये पार्क खाली हो जाता है, फिर शाम को चहल-पहल हो जाती है। घड़ी की सुई पर सब कुछ तय प्रोग्राम की तरह सेट है। अभी मुझे भी घर जाना है फिर मेरी भी दिनचर्या शुरू हो जाती है, अभी घर पहुँचते ही सुमन आ जाएगी, सुमन मेरी मेड है, घर के सदस्य की तरह ही है, शाम तक मेरे साथ ही रहती है, मैं एक एनजीओ से जुड़ गयी हूँ, शायद कुछ मन की अधूरी इच्छाएँ इसके जरिये पूरी कर सकूँ। एक किंचित स्मित रेखा चेहरे पर आती है, हाँ सभी तो पूर्णता की तलाश में हैं जैसे मैं। स्त्री हमेशा से परफेक्शनिस्ट रही, चाहे घर में हो तो शतप्रतिशत अपने परिवार को देना चाहती है, नौकरी या व्यवसाय में जुड़ी हो तो स्वयं को सिद्ध करना चाहती है, क्यूँ हमेशा उसको ही साबित करना होता है कि वो उस कार्य के लिए उपयुक्त है। जैसे वही लिफ्ट वाली लड़की, मुझे एक अजीब से उत्कंठा हो रही थी कि मैं उसके बारे में और जानूँ। खैर अभी तो घर जाना था ...हमारा पारिवारिक बिजनेस है, संयुक्त परिवार था लेकिन सबके बच्चे बड़े हुए तो घर छोटा पड़ने लगा, फिर तीन भाइयों का परिवार फ्लैट्स में शिफ्ट हो गया, बेटे का मन बिजनेस का नहीं था सो इंजीनियर है वो और वो भी सर्विस के लिए कोच्चि में है, पति भी अभी बिजनेस में है, सर्विस करना मेरी आवश्यकता नहीं थी सिर्फ मेरी जिद थी कि अच्छी शिक्षा के बाद क्यूँ घर बैठूँ, दादी, पिताजी का विरोध सह कर भी अध्यापिका बनी लेकिन शर्त पर कि टीचर ही बनो और विवाह के लिए हाँ करो, शर्त को पूरा किया और खुद को अधिक सिद्ध करने के लिए फिर पूरा जीवन समर्पित किया। सभी खुश रहे और हाँ मैं भी, फिर मैं मुस्करा दी शाम को एक फॅमिली फंक्शन में जाना था, बुटिक से कपड़े उठाने हैं, ड्राईवर को कॉल किया, जाने के लिए निकली ही थी कि सोचा लिफ्ट का बटन पुश कर दूँ 20 फ्लोर का टावर में लिफ्ट का बहुत प्रॉब्लम रहता है, दोनों ही लिफ्ट इंगेज रहती हैं। 5 मिनट के बाद लिफ्ट आई तो दरवाज़ा खुलते ही देखा फिर वही लड़की थी लिफ्ट में। मुझसे रहा नहीं गया, 'कहीं जाँच करती हो क्या, 'वो हंस दी। आप यहीं रहती हैं क्या, पहले कभी नहीं देखा आपको, ...' अरे नहीं, मैंने हंस कर कहा, यहीं की वासी हूँ, हाँ यह सही कि तुमने मुझे देखा नहीं क्यूँकि मैं भी व्यस्त थी, टीचर हूँ, अभी दो माह पहले ही रिटायर हुई।' हम दोनों की लघु वार्ता हुई कि तभी लिफ्ट का दरवाज़ा खुला, बाहर आये। किधर जा रही तुम, आओ ड्राप कर देती हूँ, मैंने कहा। साथ बैठे तो अनायास मैंने पूछा, कौन-कौन हैं तुम्हारी फॅमिली में? आय एम् सिंगल! फिर वो बच्चे? मैंने पूछा, .ओह ... अच्छा... मैंने अडॉप्ट किया उसको। जवाब दिया उसने, ओके मैडम, मेरा प्लेस आ गया, मैं उतर जा रही यहाँ। वैसे मैं आपके आपके फ्लोर के ऊपर ही रहती हूँ, कभी आती हूँ आपके घर।

ऐसे ही एक दोपहर बेल बजी, दरवाज़ा खोला, वो ही थी, हम दोनों मुस्करा दिए। "तुम्हारा नाम क्या है, तुमने बताया नहीं कभी?" आपने पूछा नहीं कभी, अच्छा ... हा s हा s, आ जाओ। "दक्षा...दक्षा मेरा नाम है

“ओके वैरी गुड बहुत सार्थक नाम है, आज ऑफ है क्या, गयी नहीं ऑफिस? “मन नहीं किया आज, रोज रोज वही लोग, वही ऑफिस, मन उबने लगता है, आप न ...खैर जाने दीजिये, क्या हुआ? नहीं आपको कहीं खराब न लग जाये”, क्यूँ ऐसा क्या बोलोगी? “आप से बात करती हूँ तो अपनापन सा लगता है लेकिन मुझे अपनेपन से डर सा लगता है।” अब मुझे कुछ कुछ समझ आ रहा था, उसका झुंझलाना, हमेशा दौड़ते रहना, सिंगल होना। वो शून्य सा भाव लिए बोल रही थी, मैडम, किसी भी तरह का रिश्ता बहुत डिमांडिंग होता है जैसे पेरेंट्स ...हमेशा बच्चों से एक्सपेक्शन रखते, फिर शादी के बाद पति, ससुराल, बच्चे अपनी बात रखवाते, मैंने पेरेंट्स को कह दिया, इन सब झंझटों में नहीं रहूंगी मैं, मैंने घर जाना भी कम कर दिया है और बच्चा भी अडॉप्ट कर लिया। सुकून से हूँ, “मैं कुछ नहीं बोली, वो मेरी मेहमान थी, कोई टिप्पणी करना उचित नहीं था और वैसे भी मेरे घर पहली बार आई थी। उसकी उम्र लगभग 30-35 वर्ष थी और मल्टीनेशनल कंपनी में उच्च पद पर थी इसलिए अपरिपक्व तो नहीं ही थी फिर भीमैंने माहौल थोड़ा हल्का किया और कॉफी ऑफर किया और कुछ और बातें हुई, उम्र में उससे बड़ी हूँ मैं फिर भी बातों का प्रवाह हो गया। ऐसा लगा मुझे कि उसके मन का गुब्बार कुछ हल्का हुआ, भावनाओं की शोरिंग से मन स्वाभाविक रूप से हल्का महसूस करता है। लेकिन ये क्या! मैं अवाक सी थी, क्या जिम्मेदारी के डर से पलायनवादी होना उचित है, उसकी मुस्कान का दर्द था या आकर्षण जो मुझे चुम्बक की तरह खींचता था। जो स्थिति आज से कई साल पहले थी, आज भी वही है। जिम्मेदारियों के साथ सिद्ध करना और हर रिश्ते की कसौटी पर खरा उतरना ज्यादा चुनौतीपूर्ण है या दक्षा का एकाकी हो जाना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं व्यथित थी। खुद को तलाश करना सही या भीड़ में खो जाना सही!

हरेक का जीवन को देखने का, जीने का नजरिया अलग होता है। हरेक के लिए सुकून की परिभाषा अलग होती है। ये आजकल की पीढ़ी को क्या हो रहा है, रिश्तों में क्यूँ बंधन महसूस करते हैं अनगिनत प्रश्न मन में उठ रहे हैं, परिवार एक संस्था है जिसमें एक व्यक्ति एकाधिकार से यदि रहना चाहे तो संतुलन कैसे सीखे? कोई ये नहीं चाहता कि कुछ भी दूसरा उसे कुछ कहे, चाहे वो जीवन शैली हो या खानपान। खुद की तलाश में खुद को खोना जायज नहीं है। शाम हो रही थी, मोबाइल बजा, उधर से पतिदेव की आवाज थी, “सुनो आज शर्मा जी सपरिवार आयेंगे, आज तुम अच्छी सी कोई भी डिश बना लेना, तुम तो एक्सपर्ट हो ही, डिनर रेडी कर लेना और अकेले ही न लगी रहना, सुमन को रोक लेना” एक सुकून की साँस मुझे भी महसूस हुई आज कोई झुंझलाहट नहीं हो रही थी।

जैसी करनी वैसी भरनी

सुश्री लक्ष्मी चौरसिया
(लेखा परीक्षक)



मनुष्य तू ईमानदारी से अपना कार्य कर। सच्चाई व लगन से अपने कार्य में आगे बढ़ तुझे इसी से सुख मिलेगा। किसी का बुरा मत सोच। भगवान पर भरोसा रख वह तुझे सही मार्ग दिखाएगा, तेरी जिन्दगी को संवारेगा। मेहनत से, निःस्वार्थ भाव से कार्य ही भगवान की पूजा कहलाता है। जब मनुष्य जन्म लेता है तो वह न तो कुछ अपने साथ लाता है तथा मरणोपरान्त न ही अपने साथ कुछ ले जाता है। वह तो खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। वह तो सिर्फ अपनी अच्छाई बुराई छोड़ जाता है।

आज का मनुष्य इन बातों को महत्व नहीं देता है। वह तो अपनी चालाकी, बेइमानी से बाज नहीं आता। कुछ मनुष्य तो सोचते हैं कि जो कार्य करता हूँ उसे तो भगवान भी नहीं जानता तो मनुष्य क्या जानेगा। लेकिन नहीं, ऐसा सोचना सर्वथा गलत है। भगवान आपकी सारी गतिविधियों को देख रहा है। जैसा-जैसा करोगे उनका वैसा ही फल आपको भगवान बराबर देगा।

उदाहरण के लिए एक साधू था जो व्रत रखता था। जब व्रत रखता था तो पानी तक नहीं पीता था तो सब मनुष्य उसकी बहुत बड़ाई करते थे कि यह साधू तो भगवान के लिए निर्जल व्रत रखता है। परंतु एक दिन वह गंगा में डुबकी लगाने अर्थात् स्नान करने गंगा तट पर पहुंचा तो वहां गंगा तट पर काफी भीड़ थी। उसी भीड़ के सामने उस साधू ने गंगा में डुबकी लगा दी तो जब वह बाहर आया तो सबने देखा कि साधू के मुख में एक मछली फंसी हुई है और साधू तड़फड़ा रहा था तथा इशारा कर रहा था कि कोई इस मछली को निकाले। वहां एकत्र लोगों ने उस साधू के मुँह से मछली खींचकर निकाल दी। उसके बाद सभी लोगों ने उस साधू से पूछा कि आपके मुँह में यह मछली कैसे फंस गई तो साधू ने बताया कि मैं आप सभी से झूठ बोलता था कि मैं व्रत में पानी भी नहीं पीता बल्कि मैं पानी में डुबकी लगाते समय पानी के अन्दर मुँह खोलकर पानी पी लेता था। आज भी मैंने पीने के लिए जैसे ही मुँह खोला तो यह मछली मेरे मुँह में फंस गई। आप लोगों से मैं गलती की क्षमा मांगता हूँ। इस प्रकार उस साधू की चालाकी व बेइमानी पकड़ी गई। ठीक ही कहा गया है कि—जैसी करनी वैसी भरनी।

लोकतंत्र को मजबूत करने में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की भूमिका

(अतीत, वर्तमान और भविष्य)

उमाशंकर दूबे

(सहा. लेखापरीक्षा अधिकारी)



मेरी राय में यह अधिकारी शायद भारत के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है। वह एक ऐसा व्यक्ति है जो यह देखेगा कि संसद द्वारा मतदान किए गए व्यय, विनियोग अधिनियम में संसद द्वारा निर्धारित व्यय से अधिक या भिन्न न हो।

उपरोक्त वक्तव्य प्रारूप समिति के अध्यक्ष एवं भारतीय संविधान के शिल्पकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के संबंध में उद्धृत किया गया था। आज हम बाबा साहब की इसी दूरदर्शिता को सिद्ध करने की दिशा में क्रमबद्ध रूप से प्रयासरत हैं। विगत वर्षों में सार्वजनिक धन के अपव्यय को रोकने, जनहित में शासन तंत्र को उत्तरदायी बनाने, लोकतांत्रिक मूल्यों के सम्यक संरक्षण एवं प्रदत्त कर्तव्यों के निष्ठापूर्वक निर्वहन में इस संस्थान द्वारा कई नवीन आयाम स्थापित किए गए हैं। **'लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा'** के मूल मन्त्र के साथ हम एक विकसित भारत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक पद की पृष्ठभूमि



- श्री वी. नरहरी राव स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक थे।
- इन्होंने 1948 से 1954 तक इस पद को सुशोभित किया।
- भारतीय प्रशासनिक सेवा में इनके योगदान हेतु सन 1954 में इन्हें "पद्म भूषण" से सम्मानित किया गया।

भारतीय संविधान में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की संकल्पना ग्रेट ब्रिटेन से ली गई है। ब्रिटेन में सी.ए.जी. का कार्यालय राजकोष एवं लेखापरीक्षा विभाग अधिनियम के द्वारा स्थापित हुआ। इसके अंतर्गत सी.ए.जी. को राजकोष से अन्य सरकारी विभागों को सार्वजनिक धन अनुमोदित करने हेतु अधिकृत किया गया था। कालांतर में उन्हें विभागीय खातों की जांच करने एवं परिणामों को संसद में प्रस्तुत करने का नव दायित्व भी सौंप दिया गया। इस प्रकार से नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का पद **"सार्वजनिक धन के अभिरक्षक"** के रूप में अन्य राष्ट्रमंडल देशों के साथ-साथ भारत में भी प्रचलित हुआ।

सन् 1858 में जब ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी से भारत का प्रशासनिक नियंत्रण अपने हाथ में लिया तब लेखापरीक्षा संबंधी दायित्वों के निर्वहन हेतु **16 नवम्बर 1860 को सर एडवर्ड ड्रमंड** को भारत के पहले महालेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। इसी कारण से 16 नवम्बर को प्रत्येक वर्ष **'ऑडिट दिवस'** के रूप में आयोजित किया

जाता है। सन 1866 में महालेखापरीक्षक को नियंत्रक महालेखापरीक्षक एवं 1884 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के रूप में पुनः नामकरण किया गया। भारत सरकार अधिनियम-1919 के तहत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के पद को स्वतंत्र कर दिया गया तथा भारत सरकार अधिनियम-1935 के अंतर्गत प्रांतीय महालेखापरीक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया ताकि संघीय व्यवस्था को और भी सुदृढ़ किया जा सके।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रमुख दायित्व



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थं सत्यमिहा
Dedicated to Truth in Public Interest

- भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग की स्थापना (पुनर्गठन) 1862 में हुई।
- वर्ष 1984 में विभाग को लेखापरीक्षा तथा लेखा कार्यालय (लेखा एवं हकदारी) के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया।
- प्रत्येक राज्य में प्रधान महालेखाकार अथवा महालेखाकार के समतुल्य एक आई.ए.ए.एस. अधिकारी के द्वारा विभाग राज्य के वित्तीय मामलों की निगरानी करता है।
- भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के लेखा एवं हकदारी तथा लेखापरीक्षा (सिविल, रेलवे, रक्षा एवं पोस्ट-टेलीग्राफ आदि) कार्यालय अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कार्य करते हैं।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संविधान के भाग-5 में अनुच्छेद 148 से 151 तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की नियुक्ति, दायित्व एवं महत्व को रेखांकित किया गया। तत्पश्चात केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम-1971 अधिनियमित कर सी.ए.जी. को केंद्र एवं राज्य सरकारों के लिए लेखा एवं लेखापरीक्षा दोनों कर्तव्यों के लिए उत्तरदायी बनाया गया। हालांकि सन 1976 में लेखा संबंधी कार्यों से अवमुक्त करते हुए इसकी जिम्मेवारी महालेखा नियंत्रक को सौंप दी गई।

लोकतंत्र के संवर्धन में सी.ए.जी. की भूमिका

लोकतंत्र से हमारा तात्पर्य शासन में जनता के प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष सहभागिता से है। भारत एक अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य का उदाहरण है, जहां सार्वभौमिक वयस्क निर्वाचन प्रणाली आयोजित कर जनता अपने जनप्रतिनिधियों को शासन हेतु निर्वाचित करती है, जिनका यह उत्तरदायित्व होता है कि वे जन आकांक्षाओं के प्रति सदैव सजग रहें। भारतीय संविधान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को "सार्वजनिक धन के संरक्षक" की भूमिका प्रदान की गई है, जो वर्तमान समय में इन जन-आकांक्षाओं के संवर्धन हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के किसी भी विभाग द्वारा रखे गए सभी आवंटन-व्यय, व्यापार, निर्माण, लाभ और हानि खातों, बैलेंस शीट और अन्य सहायक खातों की लेखापरीक्षा का महत्वपूर्ण कार्य निष्पादित कर यह सुनिश्चित करता है कि आर्थिक लोकतंत्र को और भी सशक्त बनाया जा सके।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

- लेखा एवं हकदारी कार्य : राज्य लेखाओं का संकलन, प्रस्तुतीकरण एवं कोषागार पर नियंत्रण—

विभिन्न राज्यों में स्थित लेखा एवं हकदारी कार्यालय लोकतंत्र के सशक्तिकरण हेतु संबंधित राज्य सरकार के लेखाओं का संकलन कर उसे सरकार को प्रस्तुत करते हैं। इसके प्रमुख कार्यों में वार्षिक वित्त एवं विनियोग लेखाओं का संकलन एवं प्रस्तुतिकरण, कोषागार लेखाओं का संकलन, सामान्य भविष्य निधि लेखाओं का रखरखाव एवं राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयाध्यक्ष एवं कोषागार से विभिन्न निक्षेप शीर्षों का मिलान, योजनागत

व्यय के आंकड़ों का मिलान एवं व्यय का विवरण बनाना, पेंशन भुगतान संबंधी अथॉरिटी निर्गत करना आदि शामिल है।

• **वित्तीय लेखापरीक्षा : वित्तीय विवरणों का प्रमाणीकरण**—लोकतंत्र में शासन के किसी भी अंग हेतु वित्तीय आवंटन एवं उसके सापेक्ष किये गए व्यय का सम्यक पर्यवेक्षण अत्यंत आवश्यक होता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा वित्तीय लेखापरीक्षा के माध्यम से नियामक ढांचे के अनुरूप वित्तीय विवरणों का प्रमाणीकरण कर इकाई की वित्तीय स्थिति का निष्पक्ष मूल्यांकन प्रस्तुत किया जाता है ताकि जनहितार्थ इसे शोखाधड़ी या वृष्टि से मुक्त रखा जा सके।

• **अनुपालन लेखापरीक्षा : लोकतंत्र हेतु पारदर्शिता**—भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग द्वारा विगत वर्षों में अनुपालन लेखापरीक्षा के माध्यम से सार्वजनिक जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित की गयी है। अनुपालन लेखापरीक्षा का मुख्य उद्देश्य यह मूल्यांकन किया जाना है कि क्या लेखापरीक्षित इकाई में नियमों/विनियमों एवं सक्षम पदाधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी विभिन्न आदेशों तथा अनुदेशों का सम्यक अनुपालन किया जा रहा है। विगत वर्षों में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, भारतीय रेलवे, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम आदि की अनुपालन लेखापरीक्षा सम्पादित कर सार्वजनिक जवाबदेही सुनिश्चित की गयी है।

• **निष्पादन लेखापरीक्षा : जन-योजनाओं का सम्यक मूल्यांकन**—भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निष्पादन लेखापरीक्षा संपादित किये जाने का मुख्य उद्देश्य विभिन्न योजनाओं पर किये गए व्यय की उपयोगिता एवं महत्व को रेखांकित करते हुए योजना की लक्ष्य प्राप्ति को सुनिश्चित करना है। विगत वर्षों में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कई प्रमुख योजनाओं यथा भारत नेपाल सीमा सड़क परियोजना, गंगा पुनरुद्धार योजना, नए आई.आई.टी. की संभाव्यता तथा विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संसद के समक्ष प्रस्तुत किये गए हैं। इसी अनुक्रम में प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम), उत्तर प्रदेश द्वारा **“चिकित्सीय प्रबंधन”** विषय पर किए गए निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षा दल के सदस्यों को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक महोदय द्वारा सम्मानित किया गया था, जो गर्व की अनुभूति देने वाला है।

• **अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की बाह्य लेखापरीक्षा**—भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, शासन को पारदर्शी बनाने एवं दक्षता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों यथा खाद्य एवं कृषि संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, रासायनिक हथियार निषेध संगठन, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु उर्जा एजेंसी आदि की बाह्य लेखापरीक्षा सम्पादित की गई जो न केवल सी.ए.जी. के दायित्वों का प्रसार मात्र है बल्कि 160 वर्ष पुराने इस संस्थान में निहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के विश्वास को भी प्रतिबिंबित करता है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक : भविष्य के लिए

विगत वर्षों में सरकारी नीतियों यथा केंद्रीकृत योजना प्रणाली, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, विकासात्मक व्यय में वृद्धि, सार्वजनिक उद्यमों की तीव्र वृद्धि आदि के कारण भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के कार्यों और गतिविधियों में प्रसार देखने को मिला है। निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्व को देखते हुए विभागीय कार्यों के प्रशिक्षण, तकनीकी उन्नयन एवं उन्हें ई-प्रणाली के अनुरूप तैयार करने हेतु भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के स्तर पर निम्नवत प्रयास किये जा रहे हैं :

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक : भविष्य के लिए पूर्णतः तैयार

• **नवोन्मेष की ओर अग्रसर**—भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय नवाचार को आत्मसात करने हेतु प्रतिबद्ध है। इसके अंतर्गत नवोन्मेष यानी तकनीक एवं नवाचार का अधिकतम प्रयोग सुनिश्चित करना विभाग का प्रमुख उद्देश्य है। वर्तमान में लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के कार्यालयों में **ई-कार्यालय** का कार्यान्वयन इसी कड़ी में एक सार्थक प्रयास है। साथ ही **साई-पोर्टल (SAI Portal)** के माध्यम से विभाग के प्रत्येक कार्मिक में कार्यक्षमता की अभिवृद्धि हेतु प्रशिक्षण एवं फीडबैक सम्बन्धी प्रावधान नए भारत के सपनों को पंख देंगे। आगामी वर्षों में विभिन्न तकनीकी उपकरणों यथा जी.पी.एस. तकनीक, रिमोट सेंसिंग आदि का उपयोग भौतिक संसाधनों से सम्बंधित लेखापरीक्षा के क्षेत्र में किये जाने की योजना है।



- श्री गिरीश चन्द्र मुर्मू भारत के 14 वें नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक हैं।
- 08 अगस्त 2020 को अपना पदभार ग्रहण करने से पूर्व वे नव गठित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर थे।
- वे गुजरात कैडर के 1985 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं तथा पूर्व में केन्द्रीय व्यय सचिव का पद संभाल चुके हैं।

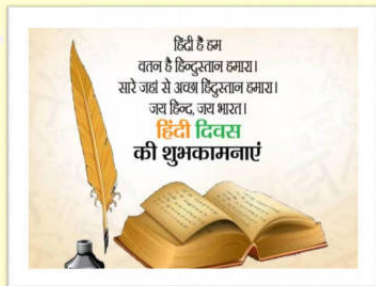
• **एक आई. ए. ए. डी, एक प्रणाली (OIOS)**—इसे केंद्र एवं राज्य से सम्बंधित लेखापरीक्षा गतिविधियों को अभिलेखित करने हेतु प्राथमिक प्रणाली के रूप में अपनाया जाना है। इसमें लेखापरीक्षा योजना एवं डिजाइन, लेखापरीक्षा का निष्पादन तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रसंस्करण और अंतिम रूप देने के लिए कृत कार्यवाही भी शामिल है। इसके अंतर्गत सभी गतिविधियों और कार्यों को वास्तविक समय (रियल टाइम) में तकनीकी प्रयोगों के माध्यम से निष्पादित किया जा रहा है। यह प्रणाली सभी लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के कार्यालयों में एक समान प्रारूप में उपयुक्त एवं विश्वसनीय आंकड़ों को सुनिश्चित करेगी। योजना का प्रमुख उद्देश्य निकट भविष्य में विभाग को आंकड़ा संचालित संगठन बनाना है।

• **डेटा प्रबंधन एवं डेटा एनालिटिक्स**—लेखापरीक्षा के क्षेत्र में आंकड़ों के महत्त्व को देखते हुए आगामी वर्षों में डेटा एनालिटिक्स का वृहद् पैमाने पर उपयोग किया जाना है। इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न डेटा उपकरणों एवं सॉफ्टवेयरों यथा: टेब्ल्यू, आइडिया एवं अन्य डी.बी.एम.एस. आधारित एप्लीकेशन की मदद से लेखापरीक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करना एवं सोर्स डेटा का वृहद् विश्लेषण कर सार्थक परिणाम प्राप्त करना है।

• **जिला केन्द्रित लेखापरीक्षा**—लेखापरीक्षा का निहित उद्देश्य कार्यकारी संस्थान को उत्तरदायी बनाने हुए सामान्य लोगों के जीवन में सुधार लाना है। इसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु जिला केन्द्रित लेखापरीक्षा की योजना परिकल्पित की गयी है, जिसे निकट भविष्य में कार्यान्वित किया जाना है। इस परिकल्पना का मुख्य उद्देश्य जिला स्तर पर संचालित समस्त समन्वयों की प्रगति का समानान्तर मूल्यांकन करना है। इसके माध्यम से आगामी वर्षों में स्थानीय स्वशासन इकाइयों की लेखापरीक्षा को और सशक्त बनाया जायेगा ताकि उन्हें प्राप्त वित्तीय संसाधनों का जनहित में समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

• **कार्यालयों में नवाचार को प्रोत्साहन** : भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के कार्यालयों में नवाचार और उत्कृष्टता को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से मुख्यालय द्वारा **दो श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान करने की योजना** आरम्भ की गयी है। प्रथम श्रेणी का पुरस्कार उन कार्यालयों/योजनाओं/लेखापरीक्षा दलों को प्रदान किया जायेगा जिन्होंने निर्धारित अवधि में लेखापरीक्षा के क्षेत्र में असाधारण प्रदर्शन किया हो जबकि पुरस्कार की द्वितीय श्रेणी उन कार्यालयों के लिए है जिन्होंने निर्धारित अवधि में सर्वाधिक सुधार किये हों।

निष्कर्षतः भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय अपने स्वर्णिम अतीत को याद करते हुए जनहितार्थ समर्पित है। आगामी वर्षों में जब हमारा राष्ट्र विश्व के प्रमुख लोकतान्त्रिक देशों की पंक्ति का प्रतिनिधित्व करेगा तो निस्संदेह उसमें भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की भूमिका निर्णायक होगी। हम आशा करते हैं कि जब हमारा राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, उस समय भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, सार्वजनिक संपत्ति के संरक्षण हेतु किये गए अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए सराहा जायेगा।



‘महिला सशक्तिकरण’

जाह्नवी राय

लिपिक



आजकल साहित्य क्षेत्र में एक नया शब्द ‘महिला सशक्तिकरण’ बड़ी धूम मचा रहा है। बड़ा शोर सुन रहे हैं ‘मुक्त करो नारी को मानव, चिर बंदनी नारी को’, नारी को ताकतवर बनाओ, उसे पुरुष के बराबर लाओ। पर भद्र पुरुषों, मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या ‘महिला आरक्षण बिल’ पास होने से महिला सशक्त हो जाएगी? दिल्ली में ‘निर्भया’ के रेप और उसके मर्डर के बाद संसद ने जितने सख्त कानून बनाए, क्या उससे नारी सशक्तिकरण हुआ? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीशों पर महिला यौन शोषण के आरोप लगने के बाद भारतीय नारी ताकतवर होकर मर्द बन पाई? तरुण तेजपाल को सलाखों के पीछे कर क्या महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को भारतीय नारी ने पा लिया? कठोर से कठोर कानून बना लें तो क्या नारी यौन शोषण की इतिश्री हो जाएगी? नहीं। हाँ, पुरुष भयाक्रांत अवश्य हो जाएगा। नारी से बात करते वक्त पुरुष पीठ कर लेगा। सुनो, भद्र पुरुषों नारी काया ही ऐसी है कि समय, स्थान मिला नहीं कि पुरुष मन उद्वेलित हुआ नहीं।

न तो राम-रावण युद्ध और न ही महाभारत के युद्ध में 18 अश्वौहणी सेना का संहार नारी विषय से अछूता है। ग्रीक और रोमन साहित्य नारी सौंदर्य पर आधारित है। हीर रांडा, सस्सी पुत्र, सोहनी महिवाल, रोमियो-जूलियट के किस्से बेकार के अफसाने नहीं। मोहम्मद बिन कासिम की क्रूरता नारी पर ही टूटी थी। राजे-महाराजे नारी को छिन कर अपना रूतबा बढ़ाते थे। आज भी पुरुष यदि विवाह के लिए आता है तो अपने राजसी ठाट में आता है। दूल्हा हाथ में तलवार, सिर पर मुकुट, मुकुट में कलगी, सजे रथ पर सवार हो नारी को ब्याहने आता है। यह राजसी चिन्ह यद्यपि आज प्रतीक स्वरूप है तो भी इन चिन्हों के पीछे नारी को हर ले जाने की प्रवृत्ति है। चाहे आज यह स्त्री हरण शांत ढंग से प्रचलित है, पर भावना इसके पीछे पुरुष की नारी पर मर मिटने की है। पुरुष की प्रत्येक कार्यविधि प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से नारी पर सर्वस्व न्यौछावर करने की है।

समाज में दो ही तरह की भूख होती है पहली भूख पेट की, दूसरी कामेन्द्रियों की। दोनों भूख पूरी होती रहें तो समाज बूढ़ा न हो। संस्कृत भाषा में इन दोनों भूखों को बड़े शालीन शब्द ‘शिशनोदर’ से संवारा है। सारा समाज इन दोनों भूखों की पूर्ति में लाखों पाप करता है। व्यावसायिक और सामाजिक ताना-बाना इन्हीं दो भूखों की पूर्ति के लिए दिन-रात लगा है। पुरुष नारी से अलग नहीं, नारी पुरुष से विमुख नहीं। दोनों सशक्त स्तम्भ हैं

समाज के। दोनों का सशक्तिकरण सारे समाज को सशक्त बनाएगी, यह स्वाभाविक है। माँ से पत्नी तक और पत्नी से बहन तक के सारे संबंध नारी से बंधे हैं। पुरुष इन संबंधों को छोड़ एक क्षण भी जी नहीं सकता। पुरुष का अस्तित्व ही नारी बिना नहीं। नारी भारतीय वाडमय में पूज्या, आराध्या देवी, ज्वालाजी, चामुंडा देवी, नैना देवी, चिंतापूर्णा या मनसा देवी हमारे लिए पागलपन की हद तक पूजनीय हैं। हाँ, कोई भैरोनाथ हुए तो सजा मिली। अब देखिए दिल्ली में 'निर्भया' का रेप और मर्डर हुआ तो सबको सजा मिलेगी? जो भी नारी का अपमान करेगा दंडित होगा। पुरुष यदि पुरुष का भी अपमान करेगा तो दंडित होगा। हाय-तौबा मत मचाओ कि नारी को मार दिया। नारी को तो पुरुष ने छोड़ा ही कुछ नहीं। पुरुष जालिम है, राक्षस है, मार डालो पुरुष को। क्यों, समाज चलेगा कैसे?

यह सब राजनीतिक शब्दावली है कि नारी का सशक्तिकरण करो। महिला आरक्षण बिल पास करो। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कठोर कानून बनाओ। होड़ लग गई राजनीतिक दलों में महिलाओं के सशक्तिकरण की। क्या नारी से पुरुष का गला कटवाना चाहते हैं? मल्लयुद्ध करना है समाज को? नाक कटवानी है पुरुष की? नारी को मर्द बनाना चाहते हो? पुरुष को घर बिठाना चाहते हो क्या? चलो, कोई बात नहीं ये राजनेता नारी को मर्द बना ही देते हैं तो क्या ये राजनेता नारी सुलभ गुणों को नारी से परे हटा सकेंगे? नहीं। तो फिर समझ लो नारी को स्वतः आगे बढ़ने दो। उसे स्वाभाविक आगे आने दो।

राजनेता महिला सशक्तिकरण की दुहाई न दें। क्या महिला सशक्तिकरण की दुहाई देने वालों ने इंदिरा गांधी को सशक्त और कर्मठ प्रधानमंत्री बनाया था? क्या प्रतिभा देवी सिंह पाटिल सशक्तिकरण के नारों से राष्ट्रपति बनीं? कल्पना चावला, सुनिता विलियम आसमान पर खोज करने नारे लगाने वालों के बल पर वहां पहुंची? राजदूत से चांसलर तक, डॉक्टर से इंजीनियर तक, अध्यापक से अधिवक्ता तक का सफर नारी ने निज बल से किया है और सुनो दुनिया में जितने भी सफलतम पुरुष हुए, उनके पीछे नारियों का ही तो हाथ था। मंत्री से प्रधानमंत्री, अन्वेषक से संचालक तक सब कहीं नारी स्वयं जुटी है। महिला सशक्तिकरण के नारे लगाने वाले स्त्री-पुरुष की सहृदयता, संवेदनशीलता को परीक्षा में न डालें। घृणा के बीज न बोएं। नारी सम्मान में बाधा न डालें। नारी सशक्तिकरण होगा नारी को शिक्षित करने से। किसी पुरुष ने नारी को शिक्षित होने से नहीं रोका। नारी सशक्तिकरण होगा नारी को प्रेम और न्याय का अधिकार देने से। नारी सशक्त होगी रुढ़ियों और अंधविश्वासों को तोड़ने से।

हिंदी भाषा का महत्व

सदानन्द कुमार चटर्जी

(सेवानिवृत्त वरिष्ठ सम्प्रेक्षक)



भारत रत्न डॉ राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में 14 सितंबर सन 1949 को इसे राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। विश्व पटल पर अब तक सात विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया जा चुके हैं। भारत में एक अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय तथा मॉरीशस में विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना की गई। हिंदी को संयुक्त संघ की एक आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्रदान करने के प्रस्ताव पारित किए जाने से निश्चित ही हिंदी के निरंतर विकास को बल प्रदान हुआ।

संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार 26 जनवरी सन 1950 से हिंदी भारत संघ की राजभाषा है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था राजभाषा हिंदी देश की एकता को कश्मीर से कन्याकुमारी तक अधिक सुदृढ़ बना सकेगी। हिंदी में उर्दू, तेलगु, अरबी, फारसी, तमिल भाषाओं के भी शब्द हैं।

अंग्रेजी के मूल शब्द मात्र 10000 है। वही हिंदी के मूल शब्द ढाई लाख से भी अधिक है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था कि मैं हिंदी में केवल एक भाषा ही नहीं देख रहा हूँ बल्कि मैं इसके अंदर राष्ट्रीय एकता की समर्थन तत्व के बीज के भी दर्शन कर रहा हूँ। राजभाषा का संकल्प 18 जनवरी 1968 को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया। राजभाषा अधिनियम 1963 को धारा 4 के अनुसार सन 1976 से राजभाषा संसदीय समिति का गठन किया गया।

लंदन विश्वविद्यालय की स्कूल का ओरिएंट लॉ एंड अफ्रीकन इंस्टिट्यूट सबसे प्राचीन संस्था है, जिसमें हिंदी पढ़ने की एक व्यवस्था है। फ्रांस दूसरा बड़ा देश है जहां हिंदी एक विषय के रूप में पढ़ाई जाती है। जहां तक मेरा मानना है कि भाषा देश की भावनाओं के स्तर को जोड़ती है।

हिंदी हमारी राजभाषा है। इस कारण हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हम उदार दृष्टिकोण से जिस किसी दफ्तर कार्यालय या संस्था में रहे हिंदी में कार्य करें और सभी स्तर पर कर्मचारीगण को हिंदी में कार्य करने की प्रेरणा दे।

समाज में भी लोगों को हिंदी के प्रति जागरूक करें। इससे जो लोग हिंदी नहीं जानते, यह भी हिंदी सीख सकें हिंदी भाषा सरलभाषा है। हम यह देखते हैं कि भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग के संदर्भ में तो हमारे

कार्यालय में निश्चित रूप से लेखा टिप्पणी लेखन प्रारूप पत्रव्यवहार ऑडिट कार्य पूर्ण रूप से हिंदी में भी की जाती है इस कारण राजभाषा हिंदी का प्रयोग करके हम स्वयं अपने आप में गर्व का अनुभव करते हैं।

हिंदी के प्रति महान विभूतियों के विचार:-

1. यदि भारतीय लोग कला, संस्कृति और राजनीति में एक रहना चाहते हैं तो उसका माध्यम हिंदी ही हो सकता है।
- चक्रवर्ती राज गोपालाचारी

2. हिंदी एक जानदार भाषा है। वह जितनी बढ़ेगी देश की उतना ही लाभ होगा।

- पंडित जवाहरलाल नेहरू

3. हिंदी में अखिल भारतीय भाषा बनने की क्षमता है।

- राजा राममोहन राय

4. राष्ट्र के एकीकरण के लिए सर्वमान्य भाषा से अधिक बलशाली कोई तत्व नहीं है। मेरे विचार में हिंदी ही ऐसी भाषा है।

- लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक

5. देश समाज का विकास चाहिए तो हमें हिंदी भाषा का प्रचार करना अत्यंत जरूरी है।

- कर्मयोगी नित्यानंद चटर्जी

6. हिंदी की प्रगति से देश की सभी भाषाओं की प्रगति होगी।

- डॉ. जाकिर हुसैन

7. राष्ट्रीय व्यवहार में हिंदी को काम में लाना देश की एकता और उन्नति के लिए आवश्यक है।

- महात्मा गांधी

8. हिंदी द्वारा सारे भारतवर्ष को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है।

- महर्षि दयानंद सरस्वती

9. प्रांतीय ईर्ष्या द्वेष दूर करने में जितनी सहायता हिंदी प्रचार से मिलेगी उतनी दूसरी चीज से नहीं।

सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया - नेताजी सुभाष चंद्र बोस

तो फिर क्यों ना आज से संकल्प लेकर हम और आप अपनी राजभाषा हिंदी में सभी कार्य लिखना, पढ़ना, बोलना शुरू करें एवं लोगों को भी हिंदी बोलने के लिए प्रेरित करें ताकि हर काम हिंदी भाषा के माध्यम से हो सके। हिंदी भाषा को राष्ट्र में गौरवपूर्ण स्थान मिल सके।

हिंदी हिंदू हिंदुस्तान हमारा है।

!! जय हिंद !!

यादें

सुश्री सुमन केसरी

वरिष्ठ लेखा परीक्षक



भूली बिछड़ी यादें क्यों याद आती है,
 रह रह कर क्यों दिल से नहीं जाती।
 गुजरा जमाना क्यों याद आता है,
 बचपन की यादें याद कर हंस लेती हूँ।
 बचपन जो दुबारा नहीं मिलता,
 किसी बच्चे को देख कर जी लेती हूँ।
 भूली बिछड़ी यादें क्यों याद आती है,
 रह रहा कर क्यों दिल से नहीं जाती,
 भूली बिछड़ी यादें क्यों लुभाती है,

जवानी याद कर जोश आता है।

जवानी याद कर रोमांचित होता है,

जवानी याद कर रोमांस याद आता है।

जवानी याद कर रोमांस याद आती है

क्या खतरनाक काम किए है,

जो आम आदमी सोच भी नहीं सकता।

वो काम किए है,

भूली बिछड़ी यादें क्यों याद आती है।

रह रह कर क्यों दिल से नहीं जाती,

गुजरा जमाना क्यों याद आता है।

भविष्य देख कर नहीं लगता,
भविष्य की योजना के सपने देखती हूँ।
सपने साकार करना है,
उसी गतिविधि पर काम करना है।
भूली बिछड़ी यादें क्यों याद आती है,
रह रह कर क्यों दिल से नहीं जाती है।
गुजरा जमाना क्यों याद आता है,
भूली बिछड़ी यादें।
भूली बिछड़ी बातें क्यों याद आती है,
क्यों याद आती है।



**हम सब मिलकर दें सम्मान
निज भाषा पर करें अभिमान
हिंदुस्तान के माथे की बिंदी
जन-जन की आत्मा बने हिंदी**



माँ

मो. शहनवाज अन्सारी

सम्प्रेक्षक



हर इन्सान को जन्म से पहले
ईश्वर ने सुनाया एक अफसाना
कोई भी दुःख हो जीवन में तुमको
तो माँ के आँचल में आ जाना

भूख तुम्हें जब बहुत सताए
सीखा न कुछ भी खा पाना
भूख मिटने का रास्ता न सूझे
तो माँ के आँचल में आ जाना

बीते बचपन आए जवानी
प्यार तुझे हो बहुत सा पाना
कोई प्यार करने वाला न मिले
तो माँ के आँचल में आ जाना

दिल तेरा कोई तोड़ चले

सब कुछ लगता हो बेगाना

दिल में सुईयाँ सी चुभती हों

तो माँ के आँचल में आ जाना

चारो ओर निराशा तुझको ढूँढे

माँ के आँचल में छुप जाना

सब जीवन में तेरा साथ छोड़ दें

तो माँ के आँचल में आ जाना



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थं सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA खंड-3
लोकहितार्थं सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

कार्यालय की गतिविधियाँ

हिंदी पखवाड़ा-2023

प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी दिनांक 14.09.2023 से दिनांक 29.09.2023 तक कार्यालय में हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया।

इस दौरान कार्यालय में अनेक हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिनमें अधिक से अधिक संख्या में अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने प्रतिभाग किया।

समापन समारोह के दिन कार्यालय की हिंदी पत्रिका तरंग के 143-44 वें अंक का विमोचन किया गया एवं हिंदी पखवाड़ा के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत कर उनका उत्साहवर्धन किया गया।



सतर्कता जागरूकता सप्ताह

सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन 30 अक्टूबर 2023 से 05 नवम्बर 2023 तक किया गया तथा इस अवसर पर वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय द्वारा अधिष्ठान से आये निरीक्षक महोदय को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया।



ऑडिट सप्ताह समारोह

दिनांक 16 से 24 नवंबर 2023 तक प्रयागराज स्थित भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के समस्त कार्यालय द्वारा ऑडिट सप्ताह मनाया गया इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन यथाक्रिकेट प्रतियोगिता, गरीबों को कंबल का वितरण तथा संगम तट पर स्वच्छता अभियान आदि कार्यक्रम संपादित किए गए।





महापौर हॉकी कप विजेता
टीम ए.जी., यू.पी.



गणतंत्र दिवस-2024

कार्यालय में प्रधान महालेखाकार महोदय द्वारा 75 वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम सम्पन्न किया गया। इस अवसर पर कार्यालय के अधिकारी व कर्मचारीगण उपस्थित रहे। ध्वजारोहण के पश्चात तिरंगे को सलामी भी दी गई। राष्ट्र ध्वज फहराने के उपरान्त प्रधान महालेखाकार महोदय द्वारा सरस्वती सभागार स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के तैल्य चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर विश्व के सबसे बृहद गणतंत्र की स्थापना में उनके योगदान को याद किया गया। तत्पश्चात् दीप प्रज्वलन कर सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत हुई। अपने अध्यक्षीय भाषण के दौरान प्रधान महालेखाकार महोदय ने सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दीं तथा राष्ट्र एवं समाज की प्रगति हेतु अपने जिम्मेदारियों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करने की बात कही। प्रधान महालेखाकार महोदय ने बताया कि एक विस्तृत राष्ट्र को सफलतापूर्वक शासित करने हेतु संविधान की भूमिका अहम हो जाती है। हमारे संविधान निर्माताओं ने गणतंत्र की मूल भावना को केंद्र में रखते हुए 'जनता का शासन' स्थापित किया है। उन्होंने वर्तमान समय में संविधान और विधिक नियमों के प्रति और अधिक निष्ठा एवं अनुपालन सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया।



महिला दिवस

दिनांक 08.03.2024 को कार्यालय में अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, इस अवसर पर कार्यालय की समस्त महिला अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी रही। कार्यालय की सभी महिला अधिकारियों एवं कर्मचारियों में स्वास्थ्य जागरूकता संबंधी चर्चा हेतु आशा हॉस्पिटल राजापुर प्रयागराज की डॉक्टर आशा सिंह को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया।



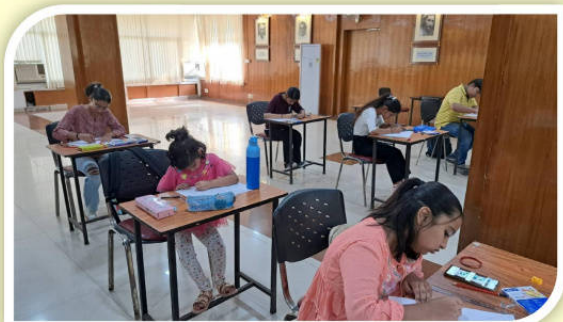
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस

दिनांक 21 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कार्यालय के प्रथम तल स्थित सरस्वती सभागार में एक योगाभ्यास सत्र का आयोजन किया गया। प्रातः 7 बजे से आयोजित इस योगाभ्यास सत्र में कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया। योग प्रशिक्षक ने कार्यालय के काम-काज में योग की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला तथा अनेक योगासनों के माध्यम से कर्मिकों के शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करने का उपाय बताया। इस सत्र में प्रधान महालेखाकार महोदय एवं अन्य वर्गाधिकारियों के साथ कार्यालय के कर्मिकों की सक्रिय भागीदारी रही तथा प्रधान महालेखाकार महोदय ने योग को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता पर बल दिया। सत्र के अंत में सभी अधिकारियों एवं कर्मिकों ने सत्र के सफल संचालन हेतु आमंत्रित प्रशिक्षक के प्रति आभार व्यक्त किया।



पर्यावरण दिवस

दिनांक 5 जून 2024 को कार्यालय में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गयी। इसमें कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बच्चों ने भाग लिया एवं पर्यावरण से सम्बंधित चित्र बना कर पर्यावरण के प्रति जागरूकता को प्रदर्शित किया।



वर्ष 2023-24 के दौरान सेवानिवृत्त हुए अधिकारी एवं कर्मचारी गण हेतु विदाई समारोह

निष्ठापूर्वक अपनी सेवा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त सेवानिवृत्त हो रहे विभिन्न अधिकारी व कर्मचारीगण को प्रधान महालेखाकार महोदय द्वारा स्मृति चिन्ह एवं प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कर्मिकों ने कार्यालय से जुड़े अपने अनुभवों को साझा किया एवं सम्मान हेतु प्रधान महालेखाकार महोदय के प्रति आभार व्यक्त किया।





स्वतन्त्रता दिवस समारोह

कार्यालय में प्रधान महालेखाकार महोदय द्वारा 78 वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम सम्पन्न किया गया। इस अवसर पर कार्यालय के अधिकारी व कर्मचारीगण उपस्थित रहे। दीप प्रज्वलन कर सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत हुई। अपने अध्यक्षीय भाषण के दौरान प्रधान महालेखाकार महोदय ने सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं तथा राष्ट्र एवं समाज की प्रगति हेतु अपने जिम्मेदारियों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करने की बात कही।



SUPREME AUDIT
DEDICATED



विदाई सम्मान समारोह

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-द्वितीय), लखनऊ शाखा प्रयागराज, कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय), लखनऊ शाखा प्रयागराज से माह सितम्बर-2023 से जून-2024 तक निम्नलिखित अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विदाई सम्मान समारोह कल्याण अनुभाग द्वारा आयोजित किया गया है—

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	आई डी संख्या	विदाई समारोह माह-वर्ष	कार्यालय का नाम
1.	अंसार आलम	सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी	3231751	01/24	प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज
2.	सत्यप्रकाश मिश्रा	सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी	3231829	01/24	कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-द्वितीय), लखनऊ शाखा प्रयागराज
3.	चंद्रप्रकाश	सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी	3231747	01/24	प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज प्रयागराज
4.	मानिक मुखर्जी	सहा. पर्यवेक्षक	3231293	01/24	कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-द्वितीय), लखनऊ शाखा प्रयागराज
5.	राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव	सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी	3231742	01/24	कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय), लखनऊ शाखा प्रयागराज
6.	दिलीप कुमार शर्मा	एम.टी.एस.	3231505	01/24	प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज
7.	जगदीश कुमार	वरिष्ठ संप्रेक्षक	3231348	02/24	प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज
8.	अश्वनी कुमार श्रीवास्तव	सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी	3231749	02/24	प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	आई डी संख्या	विदाई समारोह माह-वर्ष	कार्यालय का नाम
9.	अजय कुमार श्रीवास्तव	सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी	3231768	02/24	कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय), लखनऊ शाखा प्रयागराज
10.	अरुण कुमार शर्मा	वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी	3231664	02/24	कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय), लखनऊ शाखा प्रयागराज
11.	आनन्द कुमार	सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी	3230755	02/24	कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय), लखनऊ शाखा प्रयागराज
12.	प्रह्लाद चन्द्र अग्रवाल	सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी	3231775	02/24	कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय), लखनऊ शाखा प्रयागराज
13.	दशरथ लाल मौर्य	वरिष्ठ संप्रेक्षक	3231587	02/24	कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय), लखनऊ शाखा प्रयागराज
14.	भरत कुमार दुबे	सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी	3231759	02/24	प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज
15.	राजीव भट्टनागर	सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी	3231761	02/24	प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज
16.	दिलीप कुमार	एम.टी.एस.	3231506	02/24	प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-द्वितीय), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज
17.	अरुण कुमार	सहायक पर्यवेक्षक	3231235	04/24	प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	आई डी संख्या	विदाई समारोह माह-वर्ष	कार्यालय का नाम
18.	धर्मपाल पटेल	एम.टी.एस.	3231589	04/24	प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज
19.	शिवप्रसाद	सहायक पर्यवेक्षक	3231289	04/24	कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-द्वितीय), लखनऊ शाखा प्रयागराज
20.	अजित कुमार द्विवेदी	सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी	3231762	04/24	कार्यालय प्रधान निर्देशक (लेखापरीक्षा केन्द्रीय), लखनऊ शाखा प्रयागराज
21.	सुनील कुमार भट्टाचार्य	वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी	3230415	06/24	कार्यालय प्रधान निर्देशक (लेखापरीक्षा केन्द्रीय), लखनऊ शाखा प्रयागराज
22.	शत्रुघ्न सिंह	सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी	3230460	06/24	कार्यालय प्रधान निर्देशक (लेखापरीक्षा केन्द्रीय), लखनऊ शाखा प्रयागराज
23.	सत्येन्द्रदेव राउत जी	वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी	3230472	06/24	कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज
24.	गगन कुमार श्रीवास्तव	सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी	3232466	06/24	कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

श्रीवास्तव & Co. Chartered Accountants
श्रीवास्तव चार्टर्ड अकाउंटन्ट्स

Dedicated to Truth in Public Interest

रुमृति शेष

कार्यालय अपने प्रियजनों के असामयिक निधन से शोकाकुल है।
हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्माओं को
अपने ही श्री चरणों में स्थान प्रदान करें।

क्र.सं.	दिवंगत का नाम	पोस्ट/आई.डी.	निधन की तिथि
01	श्री महेंद्र कुमार	एमटीएस/UPALA-3232089	31.08.2023
02	श्री इन्द्र भान	सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी/UPALB-3231101	15.09.2003
03	श्री आशीष जौहरी	वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/UPALA-3230445	07.11.2023
04	श्री सुरेश चन्द्र भारतीया	एमटीएस/UPALA-3231545	22.11.2023
05	श्री श्याम कुमार	एमटीएस/UPALA-3231612	26.11.2023
06	श्री सत्यकाम	सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी/UPALB-3231028	20.12.2023
07	श्री सुरेश कुमार पाल	सहायक पर्यवेक्षक./UPALA-3231219	25.01.2024
08	श्री सुनील कुमार	एमटीएस/UPALA-3231635	30.04.2024
09	श्री ललित श्याम मिश्रा	एमटीएस/UPALA-3232052	27.06.2024
10	श्री विवेक कुमार	सहायक पर्यवेक्षक/UPALA-3232156	09.08.2024



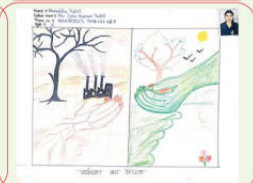
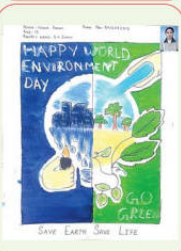
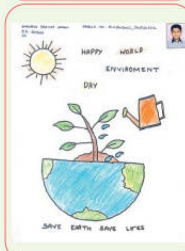
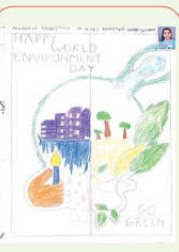
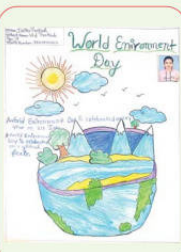
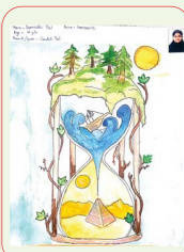
SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

Devanagari लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बच्चों की चित्रकला





SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थं सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

